THE CORE IAS

UPSC-CSE 2023-2024 के लिए उपयोगी

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

अगस्त-2024

www.thecoreias.com
/thecoreias /thecoreias /iascore /thecoreias /thecoreias

विषय सूची

I. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (1-5)

II. रक्षा (6)

III. अर्थव्यवस्था (7-10)

IV. पर्यावरण (11-16)

V. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय (17-25)

VI.राजव्यवस्था (26)

VII.योजना (27-45)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बैंडिकूट 2.0

- **बैंडिकूट एक रोबोटिक मशीन है जिसे किसी भी प्रकार के सीवर मैनहोल की सफाई के लिए बनाया गया है। रोबोट में दो प्रमुख इकाइयाँ होती हैं, एक स्टैंड यूनिट और एक रोबोटिक ड्रोन यूनिट।** ड्रोन इकाई जो सफाई कार्यों या अनब्लॉकिंग कार्यों के लिए मैनहोल में गोता लगाएगी। रोबोटिक ड्रोन की गोता लगाने की गहराई हमारे ग्राहकों के लिए आवश्यक अधिकतम गहराई के अनुसार अनुकूलन योग्य है। ऐड-ऑन सुविधा पाउडर कोटिंग सतह उपचार प्रक्रिया के अलावा नैनो कोटिंग रोबोट को किसी भी खतरनाक या संक्षारक सीवरेज वातावरण में लंबी अवधि तक प्रभावी ढंग से अपना संचालन करने में सक्षम बनाती है।
- मैनहोल सफाई के समय और दक्षता के मामले में बैंडिकूट में मनुष्यों की तुलना में अधिक कुशल सफाई करने की लचीलापन है। ड्रोन इकाई एक विस्तार योग्य रोबोटिक भुजा से सुसज्जित है जिसमें पकड़ने के लिए चार डिग्री की स्वतंत्रता है, मैनहोल के अंदर फावड़ा चलाने और खोलने की क्रियाएं। इन कार्यों को करते समय स्थिरता प्राप्त करने के लिए रोबोटिक ड्रोन को 4 विस्तार योग्य पैरों के साथ डिजाइन किया गया है, एक एकीकृत अपशिष्ट-संग्रह बाल्टी प्रणाली की मदद से एकत्रित अपशिष्ट को मैनहोल से बाहर निकाला जा सकता है।
- ऑपरेटर एक हाई डेफिनिशन डिस्प्ले के माध्यम से निगरानी करके ड्रोन यूनिट को नियंत्रित कर सकता है जिसे ड्रोन यूनिट पर लगे IP68 वॉटरप्रूफ कैमरों से इनपुट मिलेगा। स्टैंड यूनिट में विभिन्न अन्य इंटरैक्शन के लिए यूजर इंटरफेस क्षेत्र पर एक दूसरा डिस्प्ले भी है, जैसे मैनहोल के अंदर जहरीली गैस की मात्रा की जांच करना और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और स्वच्छता कार्यकर्ताओं के आसान पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण सहायता।
- **रोबोट में शामिल सेंसर-आधारित फीडबैक प्रणाली उपयोगकर्ता को मैनहोल के अंदर रोबोटिक ड्रोन इकाई की स्थिति जानने की अनुमति देगी, इस प्रकार उपयोगकर्ता उच्च दक्षता के साथ सर्जिकल सफाई प्रक्रिया कर सकता है। बैंडिकूट मैनहोल की प्रारंभिक सीमा स्थितियों को लेकर स्वचालित मोड के साथ भी आते हैं।**

भारतीय वेब ब्राउजर विकास चुनौती (IWBDC)

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारतीय वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चौलेंज (IWBDC) लॉन्च किया।प्ठक्ब एक खुली चुनौती प्रतियोगिता है जो देश के सभी कोनों से प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही, नवप्रवर्तकों और डेवलपर्स को प्रेरित और सशक्त बनाने का प्रयास करती है ताकि वे इनबिल्ट सीसीए इंडिया रूट सर्टिफिकेट, अत्याधुनिक कार्यक्षमता और उन्नत सुरक्षा एवं डेटा गोपनीयता सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपने स्वयं के ट्रस्ट स्टोर के साथ एक स्वदेशी वेब ब्राउजर बना सकें।
- **प्रस्तावित ब्राउजर विभिन्न क्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए अंतर्निहित समर्थन सुनिश्चित करते हुए पहुंच और उपयोगकर्ता मित्रता पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा, ब्राउजर क्रिप्टो टोकन का उपयोग करके दस्तावेजों पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने की क्षमता की कल्पना करता है, जिससे सुरक्षित लेनदेन और डिजिटल इंटरैक्शन को बढ़ावा मिलता है।**

चंद्रयान-3

- भारत का तीसरा चंद्र मिशन चंद्रयान-3
- **प्रक्षेपण यान जीएसएलवी मार्क 3 हेवी-लिफ्ट, जिसका नाम 'बाहुबली' रॉकेट है।**

- पिछले प्रयास, चंद्रयान-2, 2019 में विफल होने के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट-लैंडिंग रोबोटिक उपकरणों का यह भारत का दूसरा प्रयास है।
- अब तक, **केवल तीन देश, अमेरिका, रूस और चीन,** चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट-लैंडिंग कर पाए हैं।

विशेष विवरण:

- **चंद्रयान-3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (एलएम), प्रोपल्शन मॉड्यूल (पीएम) और एक रोवर शामिल है।**
- **चंद्रयान-3**चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड-टू-एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान -2 का अनुवर्ती मिशन है। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फिगरेशन शामिल है।
- इसे श्रीहरिकोटा से स्टड3 द्वारा लॉन्च किया जाएगा।
- प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फिगरेशन को 100 किमी चंद्र कक्षा तक ले जाएगा।
- प्रणोदन मॉड्यूल में चंद्र कक्षा से पृथ्वी के वर्णक्रमीय और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए रहने योग्य ग्रह पृथ्वी (SHAPE) पेलोड का स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री है।
- **लैंडर पेलोड:** तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्रा का सतही थर्मोफिजिकल प्रयोग (ChaSTE); लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण (आईएलएसए); प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगमुइर जांच (एलपी)।
- नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए समायोजित किया गया है। एक अन्य पेलोड रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फियर (रंभ) हैनिकट सतह प्लाज्मा (आयनों और इलेक्ट्रॉनों) के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापें।
- **रोवर पेलोड:**लैंडिंग स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस)।
- **चंद्रयान-3 के लिए पहचाना गया लांचर ळैस्ट-डा3 है जो एकीकृत मॉड्यूल को एलिप्टिक पार्किंग ऑर्बिट (ईपीओ) में स्थापित करेगा।**
- **चंद्रयान-3 के मिशन उद्देश्य हैं:**

1. अंतर ग्रहीय मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना
2. चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना
3. रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना और
4. यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना।

इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता क्यों लगाना चाहता है?

- **चंद्रयान-3** अपने प्रक्षेपण के लगभग एक महीने बाद चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा और इसके लैंडर (विक्रम) और रोवर (प्रज्ञान) के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है।
- नवीनतम मिशन का लैंडिंग स्थल कमोबेश चंद्रयान-2 जैसा ही है: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास 70 डिग्री अक्षांश पर।
- यहां तक कि चीन का चांगश्ई 4, जो चंद्रमा के सुदूर हिस्से पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया - वह पक्ष जो पृथ्वी का सामना नहीं करता है - 45 डिग्री अक्षांश के पास उतरा।

कोई भी अंतरिक्ष यान चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास क्यों नहीं उतरा?

1. **भूमध्य रेखा के पास उतरना आसान और सुरक्षित**

- इलाके और तापमान उपकरणों के लंबे और निरंतर संचालन के लिए अधिक अनुकूल और अनुकूल हैं।
- यहां की सतह समतल और चिकनी है, बहुत तीव्र ढलान लगभग अनुपस्थित हैं, और कम पहाड़ियाँ या गड्ढे हैं।
- सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में मौजूद है, कम से कम पृथ्वी की ओर वाले हिस्से में, इस प्रकार सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों को ऊर्जा की नियमित आपूर्ति मिलती है।

2. **चंद्रमा के कठिन ध्रुवीय क्षेत्र**

- चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र बहुत अलग और कठिन भूभाग हैं।
- कई हिस्से पूरी तरह से अंधेरे क्षेत्र में स्थित हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती है, और तापमान 230 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है।
- सूर्य के प्रकाश की कमी और अत्यधिक कम तापमान उपकरणों के संचालन में कठिनाई पैदा करते हैं।
- इसके अलावा, हर जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिनका आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है।

वैज्ञानिक चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण क्यों करना चाहते हैं?

3. **अज्ञात की खोज**

- अपने बीहड़ वातावरण के कारण, चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात बने हुए हैं।
- इस क्षेत्र के गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ के अणुओं की मौजूदगी के संकेत मिले हैं।
- भारत के 2008 के चंद्रयान-1 मिशन ने अपने दो उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था।

4. **सौर क्षेत्र के बारे में जानकारी**

- यहां के बेहद ठंडे तापमान का मतलब है कि इस क्षेत्र में फंसी कोई भी चीज बिना ज्यादा बदलाव के समय पर जमी रहेगी।
- इसलिए चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की चट्टानें और मिट्टी प्रारंभिक सौर मंडल के बारे में सुराग प्रदान कर सकती हैं।

चन्द्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों के कुछ भागों को सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं मिलता?

- पृथ्वी के विपरीत, जिसकी स्पिन धुरी पृथ्वी की सौर कक्षा के समतल के संबंध में 23.5 डिग्री झुकी हुई है, चंद्रमा की धुरी केवल 1.5 डिग्री झुकी हुई है।
- इस अनूठी ज्यामिति के कारण, चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास कई गड्ढों के फर्श पर सूरज की रोशनी कभी नहीं चमकती है।
- इन क्षेत्रों को स्थायी रूप से छायाग्रस्त क्षेत्र या पीएसआर के रूप में जाना जाता है।

"फ्लडवॉच"

- **केंद्रीय जल आयोग ने जनता तक वास्तविक समय के आधार पर बाढ़ की स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के उद्देश्य से मोबाइल एप्लिकेशन, "फ्लडवॉच" लॉन्च किया। इन-हाउस विकसित किया गया उपयोगकर्ता के अनुकूल ऐप में पठनीय और ऑडियो प्रसारण है और सभी जानकारी 2 भाषाओं, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है।**
- ऐप की मुख्य विशेषता में वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी शामिल है जहां उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति की जांच कर सकते हैं। ऐप विभिन्न स्रोतों से लगभग वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है। ऐप निकटतम स्थान पर बाढ़ का पूर्वानुमान भी प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्टेशन पर बाढ़ संबंधी सलाह देख सकते हैं।

नैनोमैकेनिकल परीक्षण प्रौद्योगिकी की सटीकता और परिशुद्धता में सुधार के लिए नवीन विधि

- एक भारतीय वैज्ञानिक द्वारा दो अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से बहुत सूक्ष्म पैमाने पर उच्च परिशुद्धता और सटीकता के साथ सामग्रियों के नैनोमैकेनिकल गुणों का परीक्षण करने की एक नई विधि विकसित की गई है।
- **नई पद्धति न केवल नैनोइंडेंटेशन तकनीक या यांत्रिक शक्ति के परीक्षण के रूप में जानी जाने वाली परिशुद्धता और सटीकता में उल्लेखनीय सुधार करती है, बल्कि बहुत अधिक दरों पर परीक्षण करने में सक्षम बनाती है, जिससे उच्च थ्रूपुट की सुविधा मिलती है।**

- **चूंकि पारंपरिक परीक्षण विधियां नैनो स्केल पर हमेशा संभव नहीं होती हैं, जो आमतौर पर मानव बाल के व्यास के 1/100वें क्रम के होते हैं, नैनोइंडेंटेशन तकनीक का आविष्कार किया गया था।**
- **अर्धचालक उपकरणों और संरचनात्मक सामग्रियों की ताकत को मापने के लिए इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में सर्वव्यापी रूप से प्रवेश कर चुके हैं। इस तकनीक का उपयोग कैंसरग्रस्त कोशिकाओं की पहचान करने से लेकर गहरे अंतरिक्ष में उल्कापिंड कैसे बनते हैं, यह स्थापित करने तक व्यापक अनुप्रयोगों के लिए किया गया है।**
- नवीन दृष्टिकोण में इंडेंटेशन परीक्षण के दौरान सामग्री प्रतिक्रिया को समझने के लिए व्यापक मॉडलिंग और सिमुलेशन का संयोजन और सटीकता और सटीकता में सुधार के लिए बाद में कार्यप्रणाली को सुलझाना शामिल था। मॉडलिंग के परिणामों को विषम परिस्थितियों में प्रयोगों द्वारा भी मान्य किया गया है।
- परंपरागत रूप से संभव की तुलना में बहुत अधिक दरों पर उच्च परिशुद्धता और उच्च सटीकता वाले नैनोइंडेंटेशन माप के लिए टोन सेट करते हुए, नई पद्धति से छोटे पैमाने पर सामग्रियों की ताकत को मापने पर वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यापक स्पेक्ट्रम को प्रभावित करने की उम्मीद है।

5जी नेटवर्क पर हमलों को रोकने के लिए एक सॉफ्टवेयर समाधान

- एक नया स्वदेशी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी समाधान अब 5जी नेटवर्क में शून्य-दिन की सुभेद्यता के हमलों का सक्रिय रूप से पता लगा सकता है और उन्हें रोक सकता है, जिससे नेटवर्क डाउनटाइम कम हो सकता है। इससे देशव्यापी संचार को सुचारू बनाने में मदद मिल सकती है क्योंकि निकट भविष्य में 5जी नेटवर्क इसकी जीवन रेखा बन जाएगा।
- **5जी तकनीक का लगभग नब्बे प्रतिशत हिस्सा कई नवीनतम तकनीकों (एनएफवी, एसडीएन, कंट्रोल प्लेन/यूजर प्लेन सेग्रीगेशन) को एकीकृत करके सॉफ्टवेयर में लागू किया जाता है, जो तकनीक का आसानी से परीक्षण करने में सक्षम बनाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में हमले की सतह का क्षेत्र कई गुना बढ़ जाता है और इसे मैन्युअल रूप से प्रबंधित करना असंभव है। संपूर्ण परीक्षण प्रक्रिया को स्वचालित करना और निरंतर निगरानी ही एकमात्र स्थायी समाधान है।**
- वर्तमान में अधिकांश रनटाइम शून्य-दिन की कमजोरियों की पहचान हमले के बाद की जाती है, जिससे ब्रांड को नुकसान होता है और साथ ही पुनर्प्राप्ति की लागत भी बढ़ जाती है।

आदित्य-एल1 मिशन

- आदित्य एल1 सूर्य का अध्ययन करने वाला **पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन है।**
- इसे **PSLV-XL** प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा।
- अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के **लैग्रेंज बिंदु 1** (एल1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
- L1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रह को सूर्य को बिना किसी ग्रहण/ग्रहण के लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है।
- **इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ मिलेगा।**
- **अंतरिक्ष यान विद्युत चुम्बकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करके प्रकाशमंडल, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों (कोरोना) का निरीक्षण करने के लिए सात पेलोड ले जाता है।**
- **विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 का उपयोग करना:** चार पेलोड सीधे सूर्य को देखते हैं और शेष तीन पेलोड लैग्रेंज बिंदु **L1** पर कणों और क्षेत्रों का इन-सीटू अध्ययन करते हैं, इस प्रकार अंतरग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करते हैं।
- **आदित्य एल1 मिशन के अन्य उद्देश्य अंतरिक्ष मौसम (सौर पवन की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता) के लिए चालकों को समझना और कई परतों (क्रोमोस्फीयर, बेस और विस्तारित कोरोना) पर होने वाली प्रक्रियाओं**

के अनुक्रम की पहचान करना होगा जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर ले जाते हैं।

लैग्रांज पॉइंट क्या हैं?

- **लैग्रांज** बिंदु, जिन्हें लाइब्रेशन बिंदु के रूप में भी जाना जाता है, अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थान हैं जहां दो बड़े पिंडों, जैसे कि एक ग्रह और उसका चंद्रमा या एक ग्रह और सूर्य, के गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण संतुलन के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करते हैं।
- **इन बिंदुओं पर, दो पिंडों से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक स्थिर या अर्ध-स्थिर क्षेत्र बनाता है जहां एक तीसरी, छोटी वस्तु** बड़े पिंडों के सापेक्ष **अपेक्षाकृत स्थिर स्थिति बनाए रख सकती है।**
- सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में पांच प्राथमिक लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1 से L5 तक चिन्हित किया गया है।
- **एल1 (लैग्रेंज प्वाइंट 1):**
- इसकी खोज गणितज्ञ जोसेफ लुईस लैग्रेंज ने की थी।
- यह पृथ्वी की कक्षा के अंदर, सूर्य और पृथ्वी के बीच लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर अंदर स्थित है।
- पृथ्वी-सूर्य प्रणाली का L1 बिंदु बिना किसी ग्रहण/ग्रहण के, हर समय सूर्य का स्पष्ट दृश्य देता है।
- **एक बार जब आदित्य L1 मिशन** लैग्रेंज बिंदु **L1 पर पहुँच जाता है,** इसे हेलो कक्षा में अंत:क्षेपित किया जाएगा। हेलो कक्षा एक प्रकार की कक्षा है जो उपग्रह को पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थिर स्थिति में रहने की अनुमति देती है।

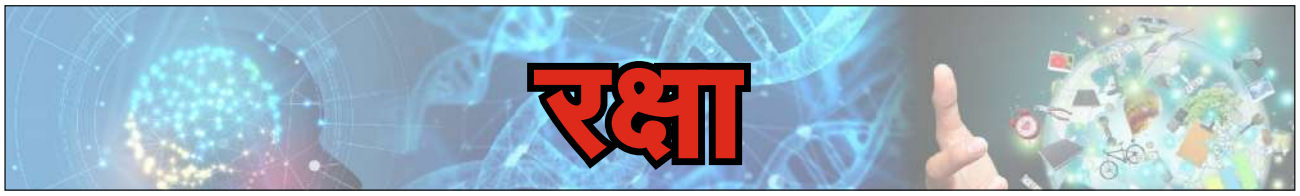

Y - 3024 (विंध्यगिरि)

- प्रोजेक्ट 17ए का छठा स्टील्थ फ्रिगेट लॉन्च किया गया।
- प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 (शिवालिक क्लास) फ्रिगेट्स का अनुवर्ती वर्ग है, जिसमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम हैं।
- **एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट्स का डिजाइन भारतीय नौसेना के लिए तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोतों को डिजाइन करने में युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। लॉन्च के साथ, राष्ट्र की स्वदेशी विशेषज्ञता और इंजीनियरिंग क्षमताओं को बड़ा बढ़ावा मिलता है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है और एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार को बढ़ावा मिलता है।**

Y - 12654 (महेंद्रगिरि)

- उड़ीसा राज्य में स्थित पूर्वी घाट की एक पर्वत चोटी के नाम पर रखा गया यह जहाज प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट्स का सातवां जहाज है। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स (शिवालिक क्लास) के फॉलो-ऑन हैं, जिनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत हथियार और सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम हैं।
- नव नामित महेंद्रगिरि एक तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं के भविष्य की दिशा में आगे बढ़ते हुए, अपनी समृद्ध नौसैनिक विरासत को अपनाने के भारत के दृढ़ संकल्प के प्रतीक के रूप में खड़ा है।
- **प्रोजेक्ट 17ए जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है, जो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए अग्रणी संगठन है। श्आत्मनिर्भरताश के प्रति देश की दृढ़ प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रोजेक्ट 17ए जहाजों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों सहित स्वदेशी फर्मों को दिए गए हैं।**

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि पद्धतियों में संशोधन

- कृषि और किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम लागू कर रहा है-कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण (RKVY-RAFTAAR) ताकि जल सघन धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे दालें, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि की ओर मोड़ा जा सके।
- **भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत दालों, मोटे अनाज, पोषक अनाज और कपास जैसी फसलों और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के तहत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के विविध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है।**
- **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-प्रति बूंद अधिक फसल (PMKSY-PDMC), ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली जैसी कुशल जल अनुप्रयोग प्रणालियों को बढ़ावा देकर खेत में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि के सतत विकास और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए, सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास (MOVCDNER) की योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।**
- परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के तहत एक उप-योजना अर्थात् भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (BPKP) के माध्यम से प्राकृतिक खेती बायोमास मल्चिंग, स्थानीय पशुधन से खेत पर गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग पर प्रमुख जोर देने के साथ खेत पर **बायोमास रीसाइक्लिंग** को बढ़ावा देती है।
- इन योजनाओं के तहत, विभिन्न आदानों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे कि उन्नत जलवायु प्रतिरोधी बीज/संकर, उन्नत कृषि उपकरण/मशीनें, जल बचत उपकरण, पौध संरक्षण रसायन, मिट्टी सुधारक आदि का वितरण।
- इसके अलावा, **भारत सरकार और राज्य किसानों को श्फसलों के प्रदर्शनों के माध्यम से आगतों के विवेकपूर्ण, समय पर और प्रभावी उपयोग, पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों स्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, टिकाऊ कृषि के लिए बेहतर कृषि प्रथाओं और बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों को अपनाने आदि पर जागरूकता तथा ICAR और हितधारक संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण, विस्तार, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कृषि गतिविधियों आदि पर सलाह को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं।**
- भारत सरकार RKVY के तहत राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। राज्य संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की मंजूरी से RKVY के तहत इन गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने एक या अधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील 1888 किस्में

विकसित और जारी की हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR-CRIDA) मौसम संबंधी चुनौतियों के प्रभाव को कम करने के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजना (DACP) भी तैयार करता है, और सभी राज्यों के कृषि विभागों को प्रसारित करता है।

- योजना में उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप शामिल है जिसमें जैविक और/या अजैविक तनाव के प्रति सहनशील फसल किस्मों/बीजों के उपयोग पर सिफारिशें शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए, कृषि मंत्रालय **बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन** के तहत घटक राष्ट्रीय बीज रिजर्व को लागू कर रहा है।

कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत भारत अभियान

- मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, कृषि अवसंरचना निधि योजना 2020 में प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा जुटाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
- लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने और कृषि बुनियादी ढांचे को जुटाने के लिए बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि योजना के तहत सरकार द्वारा **'भारत' (बैंक्स हेराल्डिंग एक्सेलेरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन)** नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। परियोजनाओं को तीव्र गति से ऋण दिया जा रहा है।
- यह 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक एक महीने चलने वाला अभियान है। विभिन्न श्रेणियों के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बैंक यानी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक (SFB), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFC) अभियान के अंत में सहकारी बैंकों का चयन किया जाएगा और उनके विशेष योगदान को मान्यता दी जाएगी।
- अभियान के तहत दैनिक प्रदर्शन को हर दिन बैंकों के व्यावसायिक घंटों के समापन पर संदेशों के माध्यम से सभी बैंकों के बीच साझा किया जा रहा है। ये दैनिक अपडेट बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों के बीच अपने लक्ष्यों को पार करने और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बहुत उत्साह और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करते हैं।
- मंत्रालय अभियान के तहत प्रदर्शन की समीक्षा करने और धीमी गति से काम करने वालों और गैर शुरुआत करने वालों को काम करने के लिए मनाने के उद्देश्य से संचार के विभिन्न माध्यमों के माध्यम से बैंक अधिकारियों के साथ नियमित बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- कृषि इन्फ्रा परियोजनाओं की संभावनाओं को देखते हुए समय-समय पर बैंकों से लक्ष्य हासिल करने का अनुरोध किया गया है और बैंकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। यह मंत्रालय व्यक्तिगत बैंकों के लिए उनके ग्राहक आधार, भौगोलिक पहुंच और कृषि अग्रिम में हिस्सेदारी और पिछले प्रदर्शन के आधार पर एआईएफ वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करता है।
- इसके अलावा, मंत्रालय योजना को बढ़ावा देने के लिए वीसी मोड पर विभिन्न बैंकों के प्रधान कार्यालयों और नियंत्रण कार्यालयों के बैंक अधिकारियों के साथ एआईएफ योजना पर भौतिक मोड और जागरूकता सत्रों पर बैंकर्स प्रशिक्षण कॉलेजों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- **बैंकों की एआईएफ टीमों वाले सोशल मीडिया समूह कृषि बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एआईएफ के तहत अधिक से अधिक ऋण देने के लिए बैंकों को प्रेरित करने के लिए बैंकों के साथ संचार के तेज माध्यम के रूप में काम करते हैं और यह मंच परिचालन संबंधी मुद्दों को सुलझाने और सहायता प्रदान करने में भी मदद करता है।**

आठ प्रमुख उद्योग

- प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI) आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।

- आठ कोर उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का 40.27 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।

हाइड्रोपोनिक्स खेती को अपनाना

- उत्पादकता और जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए मिट्टी रहित खेती के लिए हाइड्रोपोनिक्स पारंपरिक खेती के तरीकों का एक व्यवहार्य विकल्प है।
- **हाइड्रोपोनिक्स भारत में एक नई अवधारणा है और उद्यमियों और नवोन्मेषी किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है, जो फसल उगाने के टिकाऊ और कुशल तरीकों की तलाश कर रहे हैं। वर्तमान में, यह तकनीक ज्यादातर शहरी खेती, छत पर बागवानी और व्यावसायिक खेती तक ही सीमित है।**
- ICAR-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु (IIHR) ने सब्सट्रेट के रूप में कोकोपीट का उपयोग करके हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार, ष्कोकोपोनिक्सष या सब्जियों का मिट्टी रहित उत्पादन विकसित किया है, जो कई सब्जी फसलों में तुलनात्मक रूप से अधिक सफल पाया गया है।

कृषि ऋण लक्ष्य

- कृषि वानिकी पर उप-मिशन की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजना को अब कृषि वानिकी घटक के रूप में गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री पर ध्यान देने के साथ पुनर्गठित किया गया है, जिसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के एक घटक के रूप में लागू किया जाएगा।
- ICAR-केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान (CAFRI) तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, नर्सरी की स्थापना, उत्पादन और क्यूपीएम आदि का प्रमाणन प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी है।
- CAFRI देश भर में विभिन्न स्थानों पर स्थित कृषिवानिकी पर अपने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्रों के माध्यम से सहायता प्रदान करेगा।बथ्त्प अपने अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना केंद्रों के माध्यम से समर्थन प्रदान करेगा।
- नोडल विभाग/एजेंसी स्वयं उत्पादन करके या एसएयू, केवीके, एफपीओ, एसएचजी, एनजीओ, उद्यमियों/स्टार्टअप, वन/कृषि संस्थानों, किसानों/सहकारी समितियों जैसे व्यक्तियों/संस्थानों के साथ सहयोगात्मक व्यवस्था के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रोटीनयुक्त मक्का (क्यूपीएम) की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
- योजना में निम्नलिखित प्रमुख घटक/गतिविधियाँ होंगी;

1. **क्यूपीएम के उत्पादन के लिए नर्सरी की स्थापना**
2. **गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के लिए टिशू कल्चर प्रयोगशाला**
3. **कौशल विकास और जागरूकता अभियान (आवंटन का 5% तक):**
4. **अनुसंधान एवं विकास, बाजार से जुड़ाव**
5. **परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) और कृषि वानिकी तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)**
6. **स्थानीय पहल (अनुमोदित वार्षिक योजना का 2% तक)**

- **सरकार परमरागत कृषि विकास योजना के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति नामक एक उप-योजना के माध्यम से 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। प्राकृतिक खेती पशुधन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके एकीकृत कृषि और पशुपालन दृष्टिकोण पर आधारित रसायन मुक्त खेती है और बायोमास मल्चिंग, स्थानीय पशुधन से खेत पर गाय के गोबर-मूत्र फॉर्मूलेशन के उपयोग पर प्रमुख जोर देने के साथ खेत पर बायोमास रीसाइक्लिंग पर निर्भर करती है।**

- पीकेवीवाई योजना के नमाई गंगे कार्यक्रम के तहत सरकार गंगा नदी के किनारे रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। 2017-18 से नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।,

***

हरित हाइड्रोजन

- सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक अधिसूचित किया है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा जारी मानक उन उत्सर्जन सीमाओं की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को 'हरित' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित और बायोमास-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियां शामिल हैं।
- हरित हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के माप, रिपोर्टिंग, निगरानी, ऑन-साइट सत्यापन और प्रमाणीकरण के लिए एक विस्तृत पद्धति नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट की जाएगी।
- **ऊर्जा मंत्रालय का ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं की निगरानी, सत्यापन और प्रमाणन के लिए एजेंसियों की मान्यता के लिए नोडल प्राधिकरण होगा।**
- हरित हाइड्रोजन मानक की अधिसूचना भारत में हरित हाइड्रोजन समुदाय के लिए बहुत स्पष्टता लाती है और इसका व्यापक रूप से इंतजार किया जा रहा था।
- इस अधिसूचना के साथ, भारत हरित हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा करने वाले दुनिया के पहले कुछ देशों में से एक बन गया है।

भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

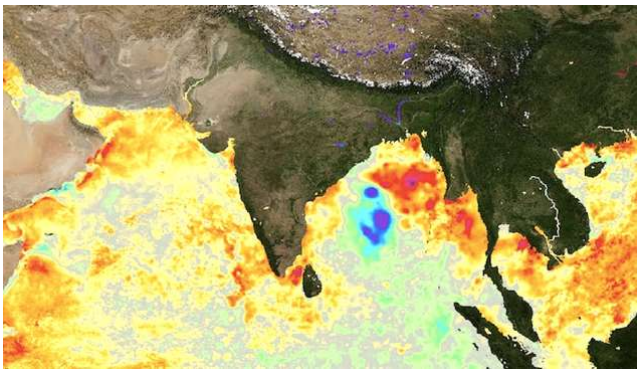

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) ने 2020 में श्भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलनश प्रकाशित किया है, जिसमें इसका भारतीय उपमहाद्वीप पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन शामिल है।
- **रिपोर्ट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:**

1. **1901-2018 के दौरान भारत का औसत तापमान लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है।**
2. **1950-2015 के दौरान दैनिक वर्षा की चरम आवृत्ति (वर्षा की तीव्रताझ 150 मिमी प्रति दिन) में लगभग 75% की वृद्धि हुई।**
3. **1951-2015 के दौरान भारत में सूखे की आवृत्ति और स्थानिक सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।**
4. **पिछले ढाई दशकों (1993-2017) में उत्तरी हिंद महासागर में समुद्र के स्तर में प्रति वर्ष 3.3 मिमी की वृद्धि हुई।**
5. **1998-2018 के मानसून के बाद के मौसम के दौरान अरब सागर के ऊपर गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति बढ़ गई है।**

आईएमडी द्वारा उठाये गये कदम:

- आईएमडी ने हाल ही में प्रभाव आधारित पूर्वानुमान लागू किया है जो यह बताता है कि मौसम कैसा होगा, इसके बजाय मौसम क्या करेगा। इसमें गंभीर मौसम तत्वों से अपेक्षित प्रभावों का विवरण और आम जनता के लिए गंभीर मौसम के संपर्क में आने पर क्या करें और क्या न करें के बारे में दिशानिर्देश शामिल हैं।

- इन दिशानिर्देशों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से अंतिम रूप दिया गया है और चक्रवात, लू, तूफान और भारी वर्षा के लिए पहले से ही सफलतापूर्वक लागू किया गया है। अन्य गंभीर मौसमी तत्वों के लिए भी इसे लागू करने का कार्य प्रगति पर है।
- पूर्वानुमान और चेतावनियाँ आपदा प्रबंधकों सहित उपयोगकर्ताओं को नियमित आधार पर ई-मेल द्वारा प्रसारित की जाती हैं। इसके अलावा, आपदा प्रबंधकों और आईएमडी अधिकारियों सहित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते हैं और इस सुविधा के माध्यम से पूर्वानुमान और चेतावनियां भी प्रसारित की जाती हैं।
- पूर्वानुमान और चेतावनियाँ सभी संबंधितों के संदर्भ के लिए सोशल मीडिया और वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। गंभीर मौसम से संबंधित नाउकास्ट पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को एसएमएस के माध्यम से भी प्रसारित किया जाता है।
- इसके अलावा, जब भी स्थिति उत्पन्न होती है, आईएमडी द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती है और इसे ऊपर उल्लिखित सभी प्लेटफार्मों द्वारा भी प्रसारित किया जाता है।
- आईएमडी ने नवीनतम उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के आधार पर मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी सेवाओं के प्रसार में सुधार के लिए हाल के वर्षों में विभिन्न पहल की हैं। **2020 में, आईएमडी ने जनता के उपयोग के लिए 'उमंग' मोबाइल ऐप के साथ अपनी सात सेवाएं (वर्तमान मौसम, नाउकास्ट, शहर पूर्वानुमान, वर्षा सूचना, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां और चक्रवात) लॉन्च की हैं।**
- इसके अलावा, 2020 में, **आईएमडी ने मौसम पूर्वानुमान के लिए मोबाइल ऐप 'मौसम', एग्रोमेट सलाह प्रसार के लिए 'मेघदूत' और बिजली की चेतावनी के लिए 'दामिनी' विकसित किया था।**
- हाल ही में आईएमडी ने तेरह सबसे खतरनाक मौसम संबंधी घटनाओं के लिए एक वेब आधारित ऑनलाइन **"क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया"** तैयार किया है, जो व्यापक क्षति, आर्थिक, मानवीय और पशु हानि का कारण बनता है।
- जलवायु खतरा और भेद्यता एटलस राज्य सरकार के अधिकारियों और आपदा प्रबंधन एजेंसियों को विभिन्न चरम मौसम की घटनाओं से निपटने के लिए योजना बनाने और उचित कार्रवाई करने में मदद करेगा। यह एटलस आईएमडी को विभिन्न चरम मौसम की घटनाओं के लिए प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान जारी करने में भी मदद करता है।
- मौसम और जलवायु सेवाओं में आधुनिकीकरण, विस्तार और सुधार के लिए, आईएमडी में **"वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस)"** नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं।
- **ACROSS के अंतर्गत IMD की 4 उप-योजनाएँ हैं, अर्थात् वायुमंडलीय अवलोकन नेटवर्क (AON), पूर्वानुमान प्रणाली का उन्नयन (UFS), मौसम और जलवायु सेवाएँ (WCS) और पोलारिमेट्रिक डॉप्लर मौसम रडार (PDWR) की कमीशनिंग।**

अमृत धरोहर

- अमृत धरोहर एक पहल है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य आर्द्रभूमियों पर प्रदर्शन, प्रतिकृति और उन्नत प्रभाव पैदा करने के लिए रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है। इस योजना को जैविक विविधता, सांस्कृतिक विरासत, भोजन, पानी और जलवायु सुरक्षा, स्थायी आजीविका के अवसरों और सामाजिक कल्याण की सुरक्षा और वृद्धि के लिए रामसर साइटों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लक्ष्य के साथ अगले तीन वर्षों में लागू किया जाना है।
- **मिशन LiFE और सहभागिता दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित, अमृत धरोहर की कार्यान्वयन रणनीति में प्रजाति और आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, वेटलैंड्स आजीविका, वेटलैंड्स कार्बन जैसे चार प्रमुख घटक शामिल हैं। समिति ने अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की।**
- आर्द्रभूमि के संरक्षण के मुद्दों को समग्र तरीके से और गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के समन्वय से उठाने पर सहमति हुई।

इथेनॉल सम्मिश्रण

- सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा में बचत, घरेलू कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और संबंधित पर्यावरणीय लाभों सहित कई उद्देश्यों के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत पेट्रोल में इथेनॉल का मिश्रण शुरू किया है।
- **इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2021-22 के लिए 'भारत में इथेनॉल मिश्रण 2020-25 के लिए रोडमैप' में निर्धारित 10% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य पहले ही हासिल कर लिया गया है** और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने ई20 (20% इथेनॉल मिश्रित)

पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया है। देश भर में। इसके अलावा, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति – 2018 में इथेनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई) 2025-26 तक पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है।

CO2 कैप्चर हब

- **कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज (CCUS) प्रौद्योगिकी मार्गों में से एक है जो शुद्ध उत्सर्जन को कम करने में मदद करता है और बड़े औद्योगिक क्षेत्रों विशेष रूप से स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर प्लांट, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल उद्योगों आदि को विकार्बनीकरण करके 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य हासिल करने में सहायता करता है।**
- CO2 कैप्चर को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए CCUS पर काम वैचारिक स्तर पर है। सुरक्षा और तकनीकी मानक विकास, कार्बन कैप्चर परियोजनाओं, कार्बन उपयोग परियोजनाओं और कार्बन परिवहन और भंडारण के क्षेत्र में चुनौतियों का अध्ययन करने और सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए नीति आयोग द्वारा चार अंतर-मंत्रालयी समितियों का गठन किया गया है।

जैविक विविधता अधिनियम

- **भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें सर्वेक्षण, आविष्कार, वर्गीकरण सत्यापन और पुष्प और जीव संसाधनों का खतरा मूल्यांकन; योजना और निगरानी के साथ-साथ वनों के संरक्षण और संरक्षण के लिए एक सटीक डेटाबेस विकसित करने के लिए मूल्यांकन; राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, संरक्षण और सामुदायिक अभ्यारण्यों के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना; प्रतिनिधि पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को नामित करना; परा-स्थाने संरक्षण प्रयासों के साथ प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसे प्रजाति उन्मुख कार्यक्रमों का उपक्रम; पूरक शामिल है।**
- देश के 10 जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में जीवों की कुल 1,02,718 प्रजातियाँ और वनस्पतियों की 54,733 प्रजातियाँ प्रलेखित की गई हैं। संरक्षित क्षेत्रों के भीतर वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, राज्य वन विभागों द्वारा प्रबंधन योजनाएँ तैयार की जाती हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ दस वर्षों की अवधि में की जाने वाली गतिविधियों की एक अनुसूची भी शामिल होती है।
- वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 जैव विविधता के संरक्षण और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षित क्षेत्र के भीतर राज्य सरकार द्वारा किसी भी गतिविधि की मंजूरी देने से पहले सावधानी बरतने का प्रावधान करता है।
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 (1) के अनुसार, राज्य सरकार समय-समय पर स्थानीय निकायों के परामर्श से, जैव विविधता महत्व के क्षेत्रों को जैव विविध ता विरासत स्थलों के रूप में आधिकारिक राजपत्र में अधि सूचित कर सकती है।
- **भारत सरकार जनजातीय उप-योजना, उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित जाति उप-योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की किस्मों और भूमि प्रजातियों के बीजों सहित पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा कर रही है।**
- किसानों द्वारा पहचानी गई विभिन्न फसलों की कुल 233 सबसे संभावित किस्मों को राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो – भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित सात राज्यों में) को शामिल करते हुए खेत में खेती, मूल्य श्रृंखला और विपणन के माध्यम से संरक्षित किया जा रहा है।

E20 पेट्रोल

- **E20 (20% इथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल मात्रा के हिसाब से 80% मोटर गैसोलीन ईंधन के साथ 20% निर्जल इथेनॉल का मिश्रण है।**
- सरकार आयात निर्भरता को कम करने, रोजगार पैदा करने, किसानों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान करने, संबंधित

पर्यावरणीय लाभों के लिए, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने आदि के व्यापक उद्देश्यों के साथ जैव ईंधन को बढ़ावा दे रही है।

वैश्विक कार्बन बजट

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) [2022] की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में कार्य समूह प्प्प के योगदान के नीति निर्माताओं के सारांश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भारत सहित पूरे दक्षिणी एशिया का योगदान केवल लगभग है 1850 और 2019 के बीच ऐतिहासिक संचयी शुद्ध मानवजनित उत्सर्जन का 4%, भले ही इस क्षेत्र में वैश्विक आबादी का लगभग 24% शामिल हो।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट में वर्किंग ग्रुप I के योगदान के अनुसार, **कार्बन बजट शब्द का प्रयोग कई तरीकों से किया जाता है। अक्सर यह शब्द कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) की कुल शुद्ध मात्रा को संदर्भित करता है जो ग्लोबल वार्मिंग को एक निर्दिष्ट स्तर तक सीमित करते हुए अभी भी मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। भारत की विकासात्मक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वर्तमान वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में वृद्धि होगी।**

भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण

- राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी), 1988 के अनुरूप, जिसमें कुल भूमि क्षेत्र का न्यूनतम एक-तिहाई हिस्सा वन या वृक्ष आवरण के तहत रखने के राष्ट्रीय लक्ष्य की परिकल्पना की गई है, मंत्रालय स्वयं और अन्य मंत्रालयों, जिनका लक्ष्य वन और वृक्ष आवरण को बढ़ाना, सुधारना और मरुस्थलीकरण से निपटना है, द्वारा विभिन्न वनीकरण संबंधी योजनाओं के माध्यम से कई पहलों को कार्यान्वित रहा है।
- **मंत्रालय अपनी प्रमुख योजनाओं, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन और वन अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन योजना के तहत वनों के संरक्षण, विकास और संवर्धन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से विभिन्न वनीकरण गतिविधियों को चलाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को समर्थन देता है। CAMPA के तहत प्रतिपूरक वनीकरण का उपयोग पूरे देश में वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए भी किया गया है। राज्य सरकारें भी वनीकरण की विभिन्न योजनाओं के लिये कार्यान्वित करती हैं।**
- **इसके अलावा, 'मैंग्रोव और कोरल रीफ्स के संरक्षण और प्रबंधन' पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से प्रचार उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वार्षिक प्रबंधन कार्य योजना बनाई और लागू की जाती है।**
- सरकार ने देश में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। ये इस प्रकार हैं:

1. अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित भारत का मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस, जो भारत में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण की सीमा प्रदान करता है, बताता है कि देश में भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का अनुमान 2018-19 में 97.84 मिलियन हेक्टेयर लगाया गया है। यह निम्नीकृत भूमि का राज्य-वार क्षेत्र प्रदान करता है जो महत्वपूर्ण डेटा और तकनीकी इनपुट प्रदान करके भूमि की बहाली के उद्देश्य से योजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सहायक है।
2. भूमि के निम्नीकृत क्षेत्र को भूमि के निम्नीकरण करने वाली प्रक्रियाओं के साथ देखने के लिए अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, अहमदाबाद की सहायता से एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
3. दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) देहरादून में एक उत्कृष्टता केंद्र की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य ज्ञान साझा करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, लागत प्रभावी और टिकाऊ भूमि प्रबंधन रणनीतियों के साथ भारत के अनुभवों को साझा करना, परिवर्तनकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए विचार विकसित करना और क्षमता निर्माण करना है।
4. इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) - भारत को बॉन चुनौती लक्ष्य हासिल करने में भारत की प्रगति की रिपोर्ट करने का काम सौंपा गया है।

- पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) पार्टियों के सम्मेलन (COP), 2015 में, भारत वर्ष 2020 तक 13 मिलियन हेक्टेयर और 2030 तक अतिरिक्त 8 डीं खराब और वनों की कटाई वाली भूमि को बहाल करने के लिए स्वैच्छिक बॉन चौलेंज प्रतिज्ञा में शामिल हुआ। 2019 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के COP-14 के दौरान 2030 तक 21 mha को बहाल करने की इस प्रतिज्ञा को बढ़ाकर 26 mha क्षेत्र कर दिया गया है।
- बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत वनीकरण के माध्यम से कवर की गई भूमि का क्षेत्रफल बताया गया है, जो 2011-12 से 2021-22 की अवधि के दौरान लगभग 18.94 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें विभिन्न केंद्रीय और राज्य विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के ठोस प्रयासों के तहत वनीकरण उपलब्धियां शामिल हैं।
- जैसा कि तमिलनाडु राज्य द्वारा सूचित किया गया है, जैव ढाल के निर्माण के माध्यम से तटीय आवास का पुनर्वास तीन साल (2023-24 से 2025-26) के लिए तमिलनाडु के सभी तटीय जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसमें तंजावुर, मयिलादुथुराई और नागपट्टिनम जैसे जिले शामिल है, जिसमें 11.25 वर्ग किमी की सीमा तक मौजूदा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र की पर्यावरण-पुनर्स्थापना और 3.28 वर्ग किमी की सीमा तक मैंग्रोव के नए रोपण की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा, कैसुरिनास, काजू, मैंग्रोव एसपीपी, पलमायरा और अन्य विशिष्ट प्रजातियों जैसे जैव ढाल के रूप में कार्य करने वाली वृक्ष प्रजातियों को बड़े पैमाने पर वनीकरण पहल के हिस्से के रूप में रोपण के लिए इन जिलों में उगाया जा रहा है। इस योजना के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता, स्थानीय समुदाय की भागीदारी भी की जा रही है।
- **मंत्रालय ने भूमि क्षरण की समस्या से निपटने के लिए किसी गैर सरकारी संगठन के साथ कोई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हालाँकि, बहुविभागीय गतिविधि होने के कारण वृक्षारोपण/वनरोपण विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजना/गैर-योजना योजनाओं के तहत विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, कॉर्पोरेट निकायों आदि द्वारा अंतर-क्षेत्रीय रूप से भी किया जाता है।**

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियाँ

दिल्ली-NCR में पर्यावरण से धूल एकत्र करने के लिए 30 बसों को बस की छत पर परियायंत्र निस्पंदन इकाइयों से सुसज्जित किया गया था।

वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए किए गए अध्ययनों का विवरण:

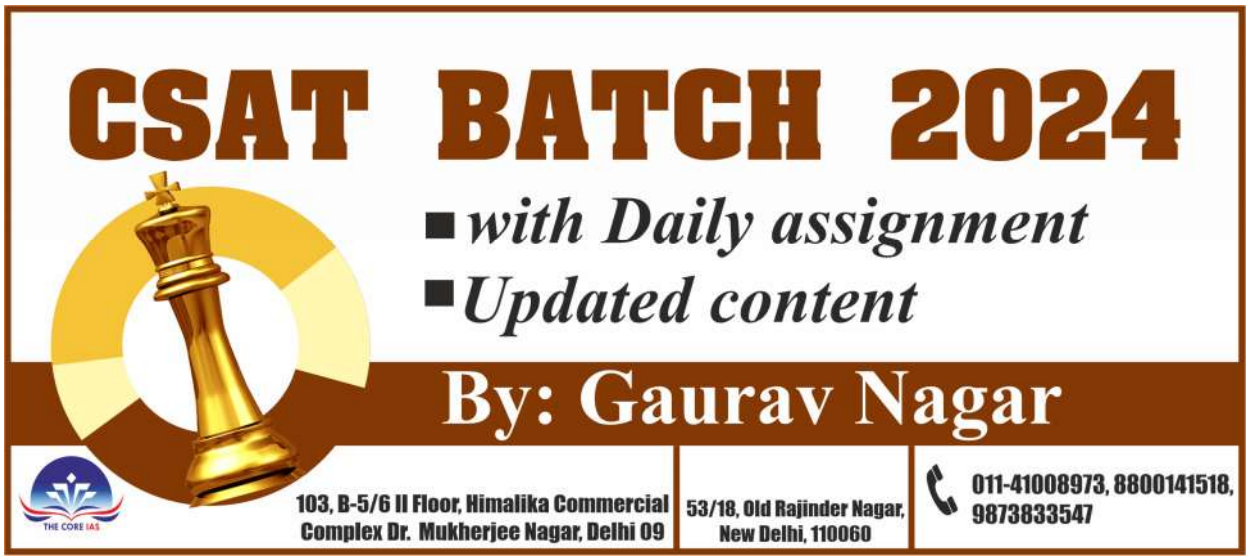

1. WAYU के पायलट अध्ययन के तहत, दिल्ली में यातायात चौराहों पर 54 वायु शोधन इकाइयाँ स्थापित की गई।
2. 'डस्ट सप्रेसेंट का उपयोग करके धूल उत्सर्जन पर नियंत्रण' पर पायलट अध्ययन
3. 'परिवेशी वायु प्रदूषण में कमी के लिए आयनीकरण प्रौद्योगिकी' पर पायलट अध्ययन
4. कणीय वायु प्रदूषण को कम करने के लिए मध्यम/बड़े पैमाने के वायु शोधक के रूप में 2 स्मॉग टॉवर स्थापित किए गए थे।
5. उपयोग में आने वाले डीजल जनरेटर सेट के लिए उत्सर्जन माप और उत्सर्जन में कटौती के लिए उपचार समाधान के बाद निकास निकास की क्षमता का मूल्यांकन करने पर पायलट परियोजना।
6. 'उपयोग में आने वाले वाहनों की पहचान की गई श्रेणियों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की रेट्रोफिटिंग और पुराने/उपयोग में आने वाले वाहनों (बीएस III) से उत्सर्जन में कमी के लिए सिफारिशों' पर पायलट परियोजना।
7. वायु गुणवत्ता मापदंडों की वास्तविक समय में दूरस्थ निगरानी के लिए स्वदेशी फोटोनिक प्रणाली के विकास के लिए डीएसटी की अनुसंधान एवं विकास परियोजना।
8. इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम (NM-ICPS) पर डीएसटी नेशनल मिशन, **'इलेक्ट्रिक वाहन आधारित स्वायत्त वाहनों के विकास'** पर ऑटोनॉमस नेविगेशन फाउंडेशन पर टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब। इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वायत्त तकनीक में ड्राइविंग पैटर्न को अनुकूलित करके और यातायात की भीड़ को कम करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की क्षमता है।

बाईसवाँ विधि आयोग

- सरकार ने 21 फरवरी, 2020 से **तीन साल की अवधि** के लिए भारत के 22वें विधि आयोग का गठन किया है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी हैं। भारत के 22वें विधि आयोग की संरचना इस प्रकार है:

1. **एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;**
2. **चार पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य-सचिव सहित);**
3. **सचिव, कानूनी कार्य विभाग पदेन सदस्य के रूप में;**
4. **सचिव, विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में; और**
5. **पाँच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं।**

बी20

- बिजनेस 20 (बी20) वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ आधिकारिक जी20 संवाद मंच है।
- **2010 में स्थापित, बी20 G20 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियाँ और व्यावसायिक संगठन भागीदार हैं।**
- बी20 आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशें देने का काम करता है।

कृत्रिम मिठास के उपयोग के लिए दिशानिर्देश

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) ने सूचित किया है कि कैंसर पर अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी (IARC) के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन-खाद्य और कृषि संगठन (WHO-FAO) द्वारा गैर-चीनी स्वीटनर एस्पार्टेम के स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन किया गया है। खाद्य योजकों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति (JECFA) मनुष्यों में कैंसरजन्यता के लिए "सीमित साक्ष्य" का हवाला देती है। हालाँकि, IARC ने एस्पार्टेम को मनुष्यों के लिए "संभवत: कैंसरकारी" के रूप में वर्गीकृत किया है और JECFA ने तदनुसार पुष्टि की है कि स्वीकार्य दैनिक सेवन 40 मिलीग्राम/किलोग्राम शरीर का वजन होना चाहिए।
- **भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने पहले ही खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 में विभिन्न कृत्रिम मिठास के लिए मानक निर्धारित कर दिए हैं। गैर-कैलोरी मिठास के लिए ये मानक और उपयोग की सीमाएं विभिन्न खाद्य उत्पादों में ऐसे गैर-कैलोरी मिठास को जोखिम मूल्यांकन और स्वीकार्य दैनिक सेवन (ADI) के आधार पर निर्धारित किया गया है। खाद्य योजकों पर संयुक्त FAO/WHO विशेषज्ञ समिति (JECFA) और सीमाएं कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के अनुरूप हैं।**

लिथियम आयन बैटरी

- **लिथियम-आयन बैटरी पर आधारित ऊर्जा भंडारण भारत को अपने ग्रीनहाउस शमन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के लिए बुनियादी कच्चा माल लिथियम और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री है। वर्तमान में, भारत में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के निर्माण और समग्र मूल्यवर्धन में निवेश नगण्य है और एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल की लगभग पूरी घरेलू मांग अभी भी आयात के माध्यम से पूरी की जा रही है।**
- इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत 5GWh विशिष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी शामिल किया गया है। यह योजना प्रति किलोवाट लागू सब्सिडी और उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाले निर्माताओं द्वारा की गई वास्तविक बिक्री पर प्राप्त मूल्यवर्धन के प्रतिशत के आधार पर उत्पादन से जुड़ी सब्सिडी का प्रस्ताव करती है।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम

- सरकार परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।

सरकार द्वारा किये गये उपाय:

1. **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प:** वर्तमान गर्भनिरोधक टोकरी में कंडोम, संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (आईयूसीडी) और नसबंदी शामिल है, जिसे नए गर्भ निरोध कों अर्थात् इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमन (छाया) को शामिल करने के साथ विस्तारित किया गया है।
2. **मिशन परिवार विकास** को गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए तेरह राज्यों में इसे लागू किया जा रहा है।
3. **नसबंदी स्वीकार करने** वालों के लिए मुआवजा योजना जो नसबंदी के लिए लाभार्थियों को मजदूरी की हानि के लिए मुआवजा प्रदान करती है।
4. **गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक:** लाभार्थियों को प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण, गर्भपात उपरांत अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण, और प्रसवोत्तर बंध्याकरण के रूप में प्रदान किया जाता है।
5. **सभी राज्यों/केंद्रशासित** प्रदेशों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 'विश्व जनसंख्या दिवस और पखवाड़ा' और श्नसबंदी पखवाड़ाश मनाया जाता है।
6. **गर्भ निरोधकों** की होम डिलीवरी योजना के तहत, आशाएं लाभार्थियों के घर तक गर्भ निरोधक पहुंचाती हैं।
7. **परिवार नियोजन रसद** प्रबंधन सूचना प्रणाली स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन वस्तुओं की अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है।

बाल विवाह

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (पीसीएमए), 2006' के तहत पंजीकृत बाल विवाह के मामलों की संख्या पर डेटा संकलित और प्रकाशित करता है। एनसीआरबी के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों यानी 2017, 2018, 2019, 2020 के दौरान श्बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006श के तहत दर्ज मामलों की संख्या और 2021 क्रमशः 395, 501, 523, 785 और 1050 हैं। हालाँकि, मामलों की अधिक रिपोर्टिंग आवश्यक रूप से बाल विवाह के मामलों की संख्या में वृद्धि को नहीं दर्शाती है, बल्कि सरकार की पहल और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा कानून के बेहतर कार्यान्वयन के कारण नागरिकों के बीच ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए जागरूकता बढ़ने के कारण ऐसा हो सकता है।
- सरकार ने बाल विवाह पर अंकुश लगाने और बाल विवाह से जुड़े लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' लागू किया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकार को पूरे राज्य या उसके ऐसे हिस्से के लिए, जो निर्दिष्ट किया जा सकता है, एक अधिकारी या अधिकारियों को अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर अधिकार क्षेत्र होने नियुक्त करने के लिए अधिकृत करती है, जिन्हें श्बाल विवाह निषेध अधिकारीश के रूप में जाना जाता है।
- यह अनुभाग बाल विवाह निषेध अधिकारी द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करता है, जिसमें

उचित समझी जाने वाली कार्रवाई करके बाल विवाह को रोकना भी शामिल है; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों को सलाह देना या इलाके के निवासियों को सलाह देना कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने, मदद करने, सहायता करने या अनुमति देने में शामिल न हों; बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को जागरूक करना। ये प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के अधीन कार्य करते हैं। ऐसे में अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन उन्हीं पर निर्भर है।

ध **भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत श्पुलिसश और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह पर रोक सहित महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध की जांच और मुकदमा चलाने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं।**

- **केंद्र सरकार इस प्रथा के बुरे प्रभावों को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान और आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और समय-समय पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को बाल विवाह निषेध अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वैधानिक अधिकारी की उपस्थिति के परिणामस्वरूप इस विषय पर और भी अधिक प्रभावी सार्वजनिक भागीदारी होगी और बाल विवाह की रोकथाम होगी।**
- **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय व्यापक योजना 'मिशन शक्ति' के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) घटक को लागू करता है, जिसमें लैंगिक समानता और बाल विवाह को हतोत्साहित करने से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भी इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श करता है।**
- **भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्डलाइन की शुरुआत की है, जो संकट में फंसे बच्चों के लिए 24X7 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है, जो बच्चे की किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कॉल करने के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिसमें समन्वय में पुलिस, बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ), जिला बाल संरक्षण इकाइयों आदि के साथ बाल विवाह की रोकथाम भी शामिल है।**
- ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि समाज के कुछ वर्ग रीति-रिवाजों, प्रथाओं और/या धार्मिक विश्वासों आदि के नाम पर बाल विवाह की प्रथा में लिप्त हैं। कुछ मामलों में, माननीय न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। व्यक्तिगत कानूनों के तहत इन आधारों पर एक नाबालिग लड़की की शादी की वैधता को बरकरार रखने के लिए कानून। सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र को पुरुषों के बराबर करने के लिए 21 साल तक बढ़ाने के लिए 21.12.2021 को संसद में श्बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021श नामक एक विधेयक पेश किया है।
- प्रस्तावित विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ शादी की उम्र से संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करने का भी प्रावधान है, जैसे श्भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872', श्पारसी विवाह और तलाक अधिनियम, 1936', 'द मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937', 'द स्पेशल मैरिज एक्ट, 1954', 'द हिंदू मैरिज एक्ट, 1955' और 'द फॉरेन मैरिज एक्ट, 1969'। इसके बाद विधेयक को जांच के लिए शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया है।

NCERT और UNESCO द्वारा विकसित कॉमिक बुक "आओ आगे बढ़ें"

- यह कॉमिक बुक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) और यूनेस्को नई दिल्ली के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम (SHWP) के लक्ष्यों को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल, 2018 में आयुष्मान भारत अभियान के तहत शुरू की गई SHWP, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, बीमारियों की रोकथाम करना और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर कल्याण केंद्रों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना है।
- **"लेट्स मूव फॉरवर्ड" कॉमिक बुक किशोरों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन की गयी है और स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के 11 विषयगत घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को समाहित करती है। इनमें भावनात्मक कल्याण, पारस्परिक संबंध, लैंगिक समानता, पोषण और स्वास्थ्य, मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, स्वस्थ जीवन शैली, प्रजनन स्वास्थ्य, इंटरनेट सुरक्षा और बहुत कुछ सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।**
- **यह कॉमिक बुक किशोरों में जिम्मेदार और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक जीवन कौशल प्रदान करती है। यह अभिनव दृष्टिकोण न केवल स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करता है बल्कि व्यापक व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक जीवन कौशल के अधिग्रहण की सुविधा भी प्रदान करता है। भाषायी विविधता में समावेश सुनिश्चित करने के लिए यह हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल और तेलुगु सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है।**
- "लेट्स मूव फॉरवर्ड" कॉमिक बुक देश भर के विभिन्न शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों में वितरित की जाएगी। इसके वितरण में राज्य स्कूल शिक्षा विभाग, SCERT, शिक्षक शिक्षा कॉलेज (CTE), शिक्षा में उन्नत अध्ययन संस्थान (IASE), जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (DIET), ब्लॉक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE), और राज्य शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग. इसके अतिरिक्त, कॉमिक पुस्तकों को सीबीएसई से संबद्ध 29,000 स्कूलों में प्रसारित किया जाएगा, जिससे इसकी पहुंच का विस्तार होगा। कॉमिक बुक का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण शिक्षा मंत्रालय, NCERT, यूनेस्को और दीक्षा वेबसाइटों पर भी उपलब्ध होगा।

सशस्त्र बलों के लिए वस्तुओं की खरीद

1. रक्षा उपकरणों की पूंजीगत खरीद रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी 2020) के अनुसार "आत्मनिर्भर भारत" यानी "आत्मनिर्भरता" पर ध्यान केंद्रित करते हुए की जाती है, जिसमें एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित घरेलू उद्योग पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वदेशीकरण, नवाचार और आयात प्रतिस्थापन की सुविधा प्रदान की गई है।
2. सरकार की मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई और स्टार्ट-अप को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में लाना है और इस तरह आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
3. सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं और एमएसएमई/स्टार्ट-अप की भागीदारी को सक्षम करने वाले कुछ डीएपी प्रावधान इस प्रकार हैं:
   - MSME के लिए 100 करोड़ रुपये तक की एओएन लागत वाले प्रत्यायोजित मामलों का आरक्षण, बशर्ते कि श्रेणी में भाग लेने के लिए कम से कम दो या अधिक MSME पात्र हों।
   - मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप/MSME के लिए वित्तीय मापदंडों में छूट।
   - मान्यता प्राप्त सूक्ष्म और लघु उद्यमों (SME) से EMD की आवश्यकता में छूट।
   - MAKE-1 परियोजनाओं के लिए MSME के लिए वित्तीय पात्रता मानदंड में छूट।
4. रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) और डीआरडीओ के तहत प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीडीएफ) के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल की स्थापना, ताकि बहुआयामी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सके और छोटे उद्यमों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई, सुसंगत, रणनीतिक और एकीकृत तरीके से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहित नवप्रवर्तकों/तकनीकी विशेषज्ञों/पेशेवरों/शिक्षाविदों के एक बड़े समूह को शामिल किया जा सके।

5. रक्षा ऑफसेट दिशानिर्देशों ने एमएसएमई को भारतीय ऑफसेट पार्टनर्स (आईओपी) के रूप में शामिल करने के लिए 1.5 के मल्टीप्लायरों की एक योजना को शामिल करके भारत के एमएसएमई की सक्रिय भागीदारी का मार्ग प्रशस्त किया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उनके एकीकरण को बढ़ावा देता है।

देविका नदी परियोजना

- **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना** के तहत मार्च 2019 में शुरू हुई।
- परियोजना के तहत, **देविका नदी के तट पर स्नान "घाटों" (स्थानों) को विकसित किया जाएगा,** अतिक्रमण हटाया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों को बहाल किया जाएगा और श्मशान भूमि के साथ-साथ जलग्रहण क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा।
- इस परियोजना में **तीन सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण,** 129.27 किमी का सीवरेज नेटवर्क, दो श्मशान घाटों का विकास, सुरक्षा बाड़ लगाना और भूनिर्माण, छोटे जलविद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है।
- परियोजना के पूरा होने पर नदियों में प्रदूषण में कमी और पानी की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।

देविका नदी का महत्व:

- देविका नदी जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है जहां यह **रावी नदी** में मिल जाती है।
- यह नदी **धार्मिक महत्व** रखती है क्योंकि हिंदू इसे गंगा नदी की बहन के रूप में पूजते हैं।
- जून 2020 में, उधमपुर में देविका ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यातायात की भीड़ का ध्यान रखने के अलावा, देविका ब्रिज का उद्देश्य सेना के काफिले और वाहनों को आसानी से गुजरने में मदद करना भी था।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है?

- यह एक **केन्द्र पोषित योजना है;** इसे नदियों के प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से 1995 में लॉन्च किया गया।
- **राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत नदी संरक्षण के कार्यक्रम** क्रियान्वित किये जा रहे हैं।
- राष्ट्रीय गंगा परिषद, जिसे राष्ट्रीय गंगा नदी कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन परिषद के रूप में भी जाना जाता है, ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का स्थान ले लिया है।

गतिविधियाँ:

- **इंटरसेप्शन और डायवर्जन खुले नालों के माध्यम से नदी में बहने वाले कच्चे सीवेज को पकड़ने और उन्हें उपचार के लिए मोड़ने का काम करता है।**
- **डायवर्ट किए गए सीवेज के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र।**
- **नदी तटों पर खुले में शौच को रोकने के लिए कम लागत वाला स्वच्छता कार्य।**
- **विद्युत शवदाह गृह और उन्नत लकड़ी शवदाह गृह लकड़ी के उपयोग को संरक्षित करने और जलते घाटों पर लाए गए शवों के उचित दाह संस्कार को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।**
- **रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य जैसे स्नान घाटों का सुधार।**
- **जनजागरूकता एवं जनभागीदारी।**
- **नदी संरक्षण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान।**
- **अन्य विविध कार्य मानव आबादी के साथ इंटरफेस सहित स्थान विशिष्ट स्थितियों पर निर्भर करते हैं।**

नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड (NEVF)

- किसी स्टार्ट-अप का मूल्यांकन अन्य निवेशकों से जुटाए गए धन के बाद के दौर के आधार पर भविष्य की तारीख (स्थगित मूल्यांकन पद्धति) से जुड़ा होता है। निवेशकों की राय, बाजार की स्थितियों और कंपनी के विकास के आधार पर, विभिन्न फंडिंग राउंड में मूल्यांकन बदल सकता है।
- NEVF द्वारा समर्थित स्टार्टअप्स ने क्षेत्र में उपलब्ध अद्वितीय व्यावसायिक अवसरों की पहचान की है और अपने उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को मूल्य वर्धित समाधान प्रदान किए हैं।

- NEVF को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी ए वेंचर कैपिटल फंड के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, एक स्वतंत्र समिति (निवेश समिति) में उद्यम फंडिंग के क्षेत्र से अनुभवी पेशेवर शामिल हैं। निजी इक्विटी, विकासात्मक बैंकिंग आदि निवेश निर्णय लेते हैं।
- **एक नियामक आवश्यकता के रूप में, विनियमन के संचालन/अनुपालन पर आवधिक रिपोर्टिंग छम्टथ के योगदानकर्ताओं और अन्य संबंधित निकायों के समक्ष संरचित तरीके से रखी जाती है। इसके अलावा, समय-समय पर ऑडिट के रूप में फंड संचालन की निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा भी की जाती है।**
- **NEVF को 100 करोड़ रुपये के लक्ष्य कोष के साथ एक क्लोज एंडेड फंड के रूप में स्थापित किया गया था।**
- **हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच उद्यमिता के अवसरों को बढ़ाने के लिए, NEDFi ने उत्तर-पूर्व के सभी राज्यों में अपना शाखा नेटवर्क स्थापित किया है जो अपने बिजनेस सम्मेलनों के माध्यम से अपने स्टार्टअप तक पहुंचता है जिसमें उद्यम निधि का विवरण समझाया जाता है।** इसके परिणामस्वरूप NEVF अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय के स्टार्टअप तक पहुंच रहा है और उन्हें वित्त पोषण दे रहा है। नागालैंड और मिजोरम राज्यों से भी प्रस्तावों की एक पाइपलाइन प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में है। इनमें से कई स्टार्टअप का नेतृत्व महिला सह-संस्थापकों द्वारा किया जाता है। इस उत्सव में एनईआर के दूर-दराज क्षेत्र से काफी उत्साह देखा गया है।

चिकित्सा पर्यटन

- देश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है। रणनीति ने निम्नलिखित प्रमुख स्तंभों की पहचान की है:
  1. **भारत के लिए एक कल्याण गंतव्य के रूप में एक ब्रांड विकसित करना**
  2. **चिकित्सा और कल्याण पर्यटन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना**
  3. **ऑनलाइन मेडिकल वैल्यू ट्रैवल (एमवीटी) पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण सक्षम करना**
  4. **चिकित्सा मूल्य यात्रा के लिए पहुंच में वृद्धि करना**
  5. **वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देना**
  6. **शासन और संस्थागत ढांचा**
- हालाँकि, अपनी चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय, विभिन्न पर्यटन स्थलों और देश के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, **'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत,** विदेशी महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है। चिकित्सा पर्यटन विषय सहित विभिन्न विषयों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया खातों के माध्यम से डिजिटल प्रचार भी नियमित रूप से किया जाता है।
- **भारत सरकार ने ई-टूरिस्ट वीजा योजना को उदार बनाया और ई-टूरिस्ट वीजा योजना का नाम बदलकर ई-वीजा योजना कर दिया गया और वर्तमान में, इसमें ई-वीजा की उप-श्रेणियों के रूप में ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा शामिल है।**
- ई-मेडिकल वीजा और ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा के मामले में, ट्रिपल एंट्री की अनुमति है और विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों / संबंधित विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर मामले के आधार पर 6 महीने तक का विस्तार दिया जा सकता है।
- **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में चिकित्सा मूल्य यात्रा को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों और हितधारकों जैसे अस्पताल, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल सुविधाप्रदाता, बीमा कंपनियां, एनएबीएच आदि के साथ समन्वय कर रहा है।**

जैविक खेती को बढ़ावा

- **सरकार 2015-16 से परम्परागत कृषि विकास योजना और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास की योजनाओं के माध्यम से देश में जैविक खेती को प्राथमिकता पर बढ़ावा दे रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को शुरू से अंत तक यानी उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन तक समर्थन पर जोर देती हैं। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना का अभिन्न अंग हैं।**

- जैविक उर्वरकों/खाद के उत्पादन और उपयोग के लिए किसानों को प्रोत्साहन इन योजनाओं में ऑन-फार्म और ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के रूप में अंतर्निहित है। जैविक उर्वरकों सहित जैविक आदानों का उपयोग करने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रदान किया जाता है।

कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी

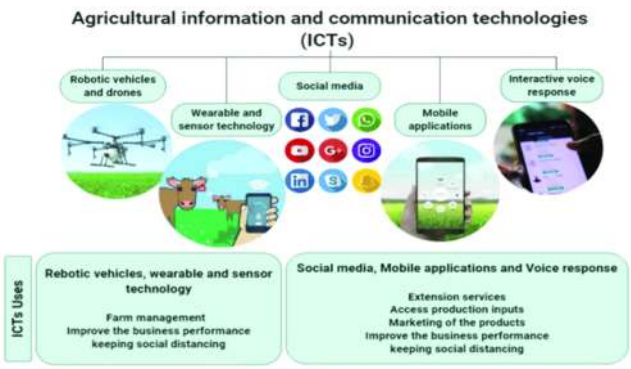

- कृषि मूल्य प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकियों का उपयोग बढ़ रहा है, और किसान तेजी से अधिक जागरूक हो रहे हैं। सरकार ने विभिन्न डिजिटल पहलों के माध्यम से देश भर में प्रौद्योगिकी और सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं, जैसे:

1. **कृषि में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक चेन आदि के उपयोग से जुड़ी परियोजना के लिए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को धन प्रदान किया जाता है। राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, विभिन्न समाधानों के विकास के लिए धन जारी किया जाता है।**
2. सरकार ने फसल योजना और स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक सूचना सेवाओं, कृषि आदानों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधानों को सक्षम करने के लिए एक खुले स्रोत, खुले मानक और अंतर-संचालित सार्वजनिक भलाई के रूप में कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) के विकास की घोषणा की है। ऋण और बीमा, फसल अनुमान के लिए सहायता, बाजार आसूचना आदि। इस संबंध में अब तक निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

- तीन मुख्य रजिस्ट्रियों यानी किसान रजिस्ट्री, गांव के नक्शे की रजिस्ट्री का जियो रेफरेंसिंग, बोई गई फसल की रजिस्ट्री के आर्किटेक्चर को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- बोई गई फसल की रजिस्ट्री तैयार करने के लिए, खरीफ 2023 से 12 राज्यों में पायलट आधार पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण शुरू किया गया है।
- Pixxel स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ पायलट आधार पर चयनित क्षेत्रों में फसल की पहचान और मानचित्रण, फसल स्वास्थ्य निगरानी और मिट्टी कार्बनिक कार्बन आकलन के लिए पिक्सक्सेल के हाइपरस्पेक्ट्रल डेटा के साथ उपयोग के मामलों को विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

3. **कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन अप्रैल, 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को मुख्य रूप से लाकर और 'कस्टम हायरिंग सेंटरों' को बढ़ावा देकर कृषि मशीनीकरण का लाभ देकर 'पहुंच से बाहर तक पहुंचना', हाई-टेक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाना, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन-परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है।**
4. **राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा कृषि उपज बाजार समिति मंडियों को नेटवर्क बनाता है। व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, मंडियों को म-छाड प्लेटफॉर्म के विभिन्न मॉड्यूल जैसे एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल, गोदाम आधारित ट्रेडिंग मॉड्यूल के माध्यम से डिजिटल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।**
5. **पीएम किसान योजना** के तहत, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि स्थानांतरित की जाती है। किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर के माध्यम से अपना पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं। योजना की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए पीएम-किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, जहां किसान अपने आधार कार्ड के आधार पर लाभार्थी की स्थिति देख सकते हैं, नाम अपडेट कर सकते हैं या सुधार कर सकते हैं और वे अपने बैंक खातों में हस्तांतरित लाभों का इतिहास भी देख सकते हैं। हाल ही में पीएम-किसान मोबाइल ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन फीचर भी शामिल किया गया है।

6. **कृषि अवसंरचना कोष:** देश में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्त सुविधा जुटाना। किसानों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य एजेंसियां/एपीएमसी जैसे लाभार्थियों को फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी के रूप में डिजिटल रूप से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ।

7. **बागवानी पर राष्ट्रीय मिशन:** यह बागवानी क्षेत्र (बांस और नारियल सहित) के समग्र विकास को बढ़ावा देता है। HORTNET परियोजना MIDH के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक वेब सक्षम कार्य प्रवाह-आधारित प्रणाली है। यह एनएचएम में ई-गवर्नेंस को पूरा करने के लिए एक अनूठा हस्तक्षेप है, जिसमें वर्कफ्लो की सभी प्रक्रियाओं यानी ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, प्रमाणीकरण, प्रसंस्करण और डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान में कुल पारदर्शिता की परिकल्पना की गई है।

8. **मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना:** देश के किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना, ताकि उर्वरक प्रथाओं में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए एक आधार प्रदान किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल उपलब्ध है जहां किसान मिट्टी के नमूनों को ट्रैक कर सकते हैं।

9. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना** के तहत कई नई तकनीकी पहल की गई हैं जैसे प्रौद्योगिकी पर आधारित उपज अनुमान प्रणाली (YES-Tech), मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) पोर्टल और घर-घर नामांकन ऐप AIDE/सहायक।

- **YES-TECH, एक प्रौद्योगिकी-संचालित उपज अनुमान प्रणाली है, जो ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक उपज आकलन के लिए कार्यप्रणाली, सर्वोत्तम अभ्यास और एकीकरण अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।**
- **विंड्स पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच है जो तालुक/ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर स्वचालित मौसम स्टेशनों और वर्षा गेज द्वारा एकत्र किए गए हाइपर-स्थानीय मौसम डेटा को होस्ट, प्रबंधित और संसाधित करता है। पोर्टल कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हुए फसल बीमा, कृषि सलाह और आपदा शमन में जोखिम मूल्यांकन और निर्णय लेने को बढ़ाता है।**

THE CORE IAS
GS ANSWER WRITING
CURRENT AFFAIRS
ADVANCED COURSE
GS FOUNDATION
OPTIONAL SUBJECT
HINDI SAHITYA
HISTORY OPTIONAL
GEOGRAPHY OPTIONAL
THE CORE IAS
CSAT
011-41008973, 8800141518

- **AIDE ऐप का उद्देश्य नामांकन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाना है, इसे सीधे किसानों के दरवाजे तक लाना है। यह घर-घर नामांकन एक निर्बाध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करता है, जिससे किसानों के लिए फसल बीमा अधिक सुलभ और सुविधाजनक हो जाता है।**

10. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी ICAR, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल ऐप संकलित किए हैं और अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। फसल, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में विकसित ये मोबाइल ऐप किसानों को प्रथाओं के पैकेज, विभिन्न वस्तुओं के बाजार मूल्य, मौसम संबंधी जानकारी, सलाह सेवाएँ, आदि सहित बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं।

11. इसके अलावा, ICAR ने **"किसान सारथी"** नाम से एक डिजिटल मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है जिसका उपयोग देश भर में 731 केवीके के माध्यम से किसानों को सलाह प्रदान करने के लिए किया जा रहा है।

***

THE CORE IAS

भारतीय राजनीति

परामर्शदात्री समितियाँ

- विभिन्न मंत्रालयों की सलाहकार समितियों का गठन वर्षवार नहीं किया जाता है।
- सलाहकार समितियों के गठन, कार्यों और प्रक्रियाओं पर दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक लोकसभा के गठन पर सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा। 17वीं लोकसभा के लिए अब तक 40 सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है।

38th Rank

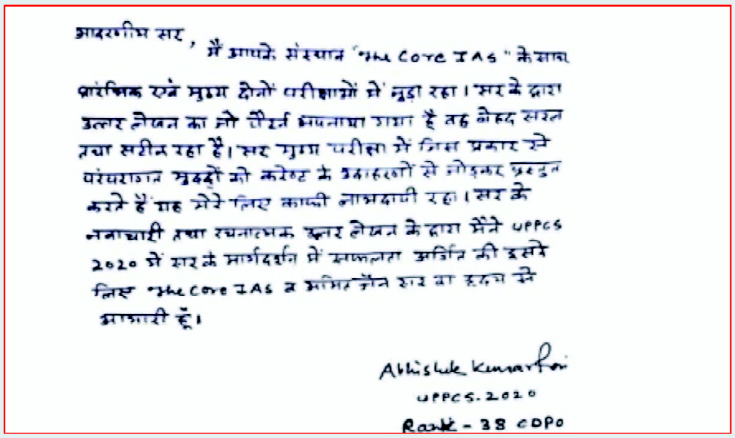
आदरणीय सर, मैं आपके संस्थान "The Core IAS" के द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य दोनों परीक्षाओं में जुड़ा रहा। सर के द्वारा उत्तर लेखन का जो सौंदर्य अपनाया जाता है वह बेहद सरल तथा सटीक रहा है। सर मुख्य परीक्षा में जिस प्रकार से परंपरागत शब्दों को कोटेट के उदाहरणों से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं वह मेरे लिए काफी लाभदायी रहा। सर के नवाचारी तथा रचनात्मक उत्तर लेखन के द्वारा मैंने UPPCS 2020 में सर के मार्गदर्शन में सफलता अर्जित की इसके लिए "The Core IAS" व अभिषेक कौन सर का हृदय से आभारी हूँ।

Abhishek Kumar
UPPCS-2020
Rank - 38 CDPO

योजना

किसान कल्याण योजना

- कृषि के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने और छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला लागू की गई है। हालाँकि, छोटे किसानों के लिए कोई अलग नीति लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

योजना

1. **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN):**

संक्षिप्त विवरण-प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना देश भर के सभी भूमिधारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है ताकि वे कृषि और संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों से संबंधित खर्चों का ध्यान रखने में सक्षम हो सकें।

2018 से प्रभावी इस योजना का लक्ष्य कुछ अपवादों के अधीन खेती योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6000/- रुपये का भुगतान प्रदान करना है।

केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे वर्ष भर में 2000/- रुपये की तीन किस्तों में 6000/- रुपये का वित्तीय लाभ जारी किया जा रहा है।

2. **10,000 किसान उत्पादक संगठनों (AIF) का गठन और संवर्धन:**

संक्षिप्त विवरण-भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है।

एफपीओ का गठन और प्रचार कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को 05 साल की अवधि के लिए एफपीओ को पेशेवर हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान करने और तैयार करने के लिए संलग्न करती है, जिसमें स्थायी आधार पर बेहतर विपणन अवसर और बाजार संपर्क सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एफपीओ के लिये व्यवसाय योजना की तैयारी और निष्पादन भी शामिल है।

3. **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)**

संक्षिप्त विवरण-मौजूदा बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का एग्री इंफ्रा फंड लॉन्च किया गया था।

कृषि अवसंरचना कोष ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से फसल के बाद के प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।

4. **खाद्य तेल-तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (NMEO-OP):**

संक्षिप्त विवरण-पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान देने के साथ देश को खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है।

5. **राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (NBHM):**

मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन के समग्र प्रचार और विकास और ष्मीठी क्रांतिष के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई थी।

कृषि क्षेत्र का विकास

- पिछले छह वर्षों के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र 4.4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।
- सरकार ने किसानों की कृषि विकास संभावनाओं और आय में सुधार के लिए कई नीतियों, सुधारों, विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं को अपनाया और कार्यान्वित किया है। इनमें शामिल हैं:

1. **पीएम-किसान के तहत पात्र लाभार्थियों को तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000/- रु.रुपये का पूरक आय हस्तांतरण।**

2. **सभी खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभसुनिश्चित करना।**
3. **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा।**
4. **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच।**
5. **100,000 करोड़ के आकार के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान।**
6. **एफसीआई संचालन के अलावा पीएम-आशा के तहत नई खरीद नीति।**
7. **किसान क्रेडिट कार्ड कृषि फसलों के अलावा डेयरी और मत्स्यपालन किसानों को भी उत्पादन ऋण प्रदान करता है।**
8. **10,000 कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन।**
9. **सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीति विकसित करना और लागू करना है।**
10. **कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिससे भारतीय कृषि में क्रांति लाने की क्षमता है।**
11. **मधुमक्खी पालन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नीली क्रांति, ब्याज सहायता योजना, कृषि वानिकी, पुनर्गठित बांस मिशन, नई पीढ़ी के वाटरशेड दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, आदि के तहत होने वाले लाभ।**
12. **कृषि मूल्य श्रृंखला के सभी चरणों में डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर ध्यान देना।**
13. **किसानों को रियायती मूल्य पर उर्वरक की आपूर्ति ताकि इनपुट लागत कम हो सके।**

उच्च घनत्व खेती

- आम, अमरूद, लीची, अनार, सेब, खट्टे फल आदि के उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण को मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत समर्थित किया गया है, जो **2014-15 से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है।**

कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का निर्माण

- **मौजूदा बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश जुटाने के लिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था।** कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फसल के बाद के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियां के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए ऋण संस्थानों द्वारा एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है।
- फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निम्नलिखित योजनाएं भी लागू की जा रही हैं:
- **बागवानी के एकीकृत विकास** के लिए मिशन, खराब होने वाली बागवानी फसलों के लिए कटाई के बाद प्रबंधन के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, प्री-कूलिंग, स्टेजिंग कोल्ड रूम, कोल्ड स्टोरेज, भंडारण, परिवहन, पकने वाले कक्षों की स्थापना और एकीकृत कोल्ड चेन आपूर्ति प्रणाली, नियंत्रित वातावरण की स्थापना आदि शामिल है।
- वैज्ञानिक भंडारण सहित **कृषि विपणन अवसंरचना** के निर्माण के लिए और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पूरे देश में एकीकृत कृषि विपणन योजना की उप-योजना ष्कृषि विपणन अवसंरचनाष को लागू कर रहा है। यह एक ओपन एंडेड, डिमांड संचालित और क्रेडिट लिंक्ड योजना है जिसमें लाभार्थी की पात्र श्रेणी के आधार पर 25% और 33.33% की दर से बैक एंडेड पूंजी सब्सिडी उपलब्ध है। सहायता व्यक्तियों, किसानों, किसानों/उत्पादकों के समूह, कृषि-उद्यमियों, पंजीकृत किसान उत्पादन संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और राज्य एजेंसियों आदि के लिए उपलब्ध है।
- **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** (बुनियादी ढांचा और संपत्ति): इसके तहत परियोजनाएं राज्य कृषि बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम से निकलेंगी। इसमें आम तौर पर बुनियादी ढांचे की मानक आवश्यकता, उसकी वास्तविक उपलब्धता और राज्य में कृषि बुनियादी ढांचे में अंतर के आधार पर चयनित परियोजनाएं जैसे प्रयोगशालाओं और परीक्षण सुविधाओं की स्थापना, कोल्ड-स्टोरेज सहित भंडारण, मोबाइल वैन, कृषि विपणन आदि शामिल होंगी।

- **कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन** 2014 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य **'कस्टम हायरिंग'** को बढ़ावा देकर छोटे और सीमांत किसानों को मुख्य रूप से केंद्र में रखकर और कृषि मशीनीकरण का लाभ देकर उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए केंद्र बनाना, विभिन्न कृषि उपकरणों का वितरण, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित नामित परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन-परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना 'पहुंच से दूर तक पहुंचना' है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2015-16 से प्रमाणित जैविक उत्पादन को बढ़ावा दे रहा है। **यह योजना जैविक उत्पादन से लेकर प्रमाणीकरण और विपणन तक जैविक किसानों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करती है, जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण आदि जैसी फसल कटाई के बाद प्रबंधन सहायता भी शामिल है।** एकीकृत प्रसंस्करण इकाई, एकीकृत पैक-हाउस, कोल्ड स्टोर जैसी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए आवश्यकता आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आदि MOVCDNER के तहत राज्यों को प्रदान किए जाते हैं।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

- पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई।
- **संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का प्राथमिक उद्देश्य एसडीजी को पूरा करने के लिए पंचायतों की शासन क्षमताओं को विकसित करना है जो पंचायतों के दायरे में आते हैं।**
- **योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, बैठकों, वीडियो-सम्मेलनों, पीएफएमएस आदि के माध्यम से राज्यों के साथ धन के उपयोग की बारीकी से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, योजना के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा आयोजित वास्तविक समय प्रशिक्षणों की निगरानी के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल मौजूद है।**

कृषि गतिविधियों का उपग्रह कवरेज

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने विभिन्न कृषि गतिविधियों के समर्थन के लिए, जैसे खेती के तहत कुल क्षेत्र का आकलन करना, प्राकृतिक आपदाओं और बीमारी के हमलों से नुकसान का आकलन करना और देश भर में कृषि-मौसम सेवाओं का आकलन करना; आदि पर डेटा प्रदान करने के लिए रिसोर्ससैट -2A, रडार इमेजिंग सैटेलाइट (RISAT) - 1A (पृथ्वी अवलोकन उपग्रह -04) को ध्रुवीय कक्षाओं में और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (INSAT) 3D, INSAT-3DR को भूस्थैतिक कक्षाओं में लॉन्च किया है।
- इसरो ने निम्नलिखित उपग्रहों के प्रक्षेपण का प्रस्ताव दिया है:

1. **Resourcesat-3 & 3A मध्यम रिजॉल्यूशन उपग्रह, 2 दिनों की संयुक्त पुनरावृत्ति के साथ,**
2. **Resourcesat-3S & 3SA उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह, 4 दिनों की पुनरीक्षण क्षमता के साथ,**
3. **RISAT-1B दिन-रात और हर मौसम की स्थिति की तस्वीरें ले सकता है। RISAT-1B, RISAT-1A के साथ लगभग 12 दिनों तक समान क्षेत्र को कवर करेगा।**
4. **मोटे रिजॉल्यूशन और दैनिक मल्टीपल इमेजिंग क्षमता के साथ भूस्थैतिक कक्षा में INSAT – 3DSA**

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग फरवरी-2014 से पूरे देश में "राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)" योजना लागू कर रहा है। इस योजना को निम्नलिखित दो घटकों के साथ 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए जुलाई 2021 में पुनर्गठित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है:

1. NPDD का घटक श्एश राज्य सहकारी डेयरी संघों/जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ/एसएचजी/दुग्ध उत्पादक कंपनियों/किसान निर्माता संगठनों के लिए गुणवत्ता वाले दूध परीक्षण उपकरणों के साथ-साथ प्राथमिक शीतलन सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण/मजबूतीकरण पर केंद्रित है।

2. NPDD योजना के घटक 'बी' "सहकारिता के माध्यम से डेयरी" का उद्देश्य किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन बुनियादी ढांचे को उन्नत करके और उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थानों की क्षमता को बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों की बिक्री बढ़ाना है।

- **NPDD मांग आधारित योजना है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया था।**
- NPDD योजना के घटक ए के तहत, किसानों को अच्छी स्वच्छता प्रथाओं/अच्छी विनिर्माण प्रथाओं आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। NPDD योजना के घटक बी के तहत, किसानों को स्वच्छ दूध उत्पादन और अच्छी स्वच्छता प्रथाओं, दुधारू पशुओं के पालन, पशु चारा, हरा चारा और खनिज मिश्रण अपनाने आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

न्याय बंधु कार्यक्रम

- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत, न्याय बंधु कार्यक्रम द्वारा एसटी, एससी, तस्करी या भीख मांगने के शिकार, महिलाओं या बच्चों, पीडब्ल्यूडी और अन्य पात्र श्रेणियों सहित हाशिए पर या वंचित आवेदकों को विभाग के माध्यम से मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्राप्त करने का अधिकार है।
- **न्याय बंधु (प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज) की प्राथमिक पहल देश भर में प्रो-बोनो कानूनी सेवाओं के वितरण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना है। न्याय बंधु के तहत, अपने समय और सेवाओं को स्वेच्छा से देने में रुचि रखने वाले अभ्यास करने वाले वकील, मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, पात्र हाशिए पर रहने वाले लाभार्थियों से जुड़े हुए हैं। न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किया गया है और इसे तकनीकी भागीदार CSC ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर भी शामिल किया गया है।**

पंचायती राज में ई-गवर्नेंस

- **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार करना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है।**
- मंत्रालय ने योजना, लेखांकन और बजट जैसे पंचायत कार्यों को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लिकेशन eGramSwaraj लॉन्च किया है। खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए पीआरआई का बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, ई-ग्राम स्वराज को विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है।
- विभिन्न श्रेणियों में आयोजित संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत विषय क्षेत्र और हितधारकों के प्रशिक्षणों की वास्तविक समय प्रगति की निगरानी के लिए एक प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया है। पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट और उनके वित्तीय प्रबंधन के लिए **'ऑडिटऑनलाइन'** का एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है।
- मंत्रालय सेवाओं की सफल डिलीवरी के लिए पंचायतों को अपने स्वयं के नागरिक चार्टर को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिसके लिए मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है और राज्यों के साथ साझा किया है। राज्यों द्वारा ऐसे नागरिक चार्टर को अपनाने की निगरानी समर्पित पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से **भारतनेट परियोजना** कार्यान्वित की जा रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता संस्कृति

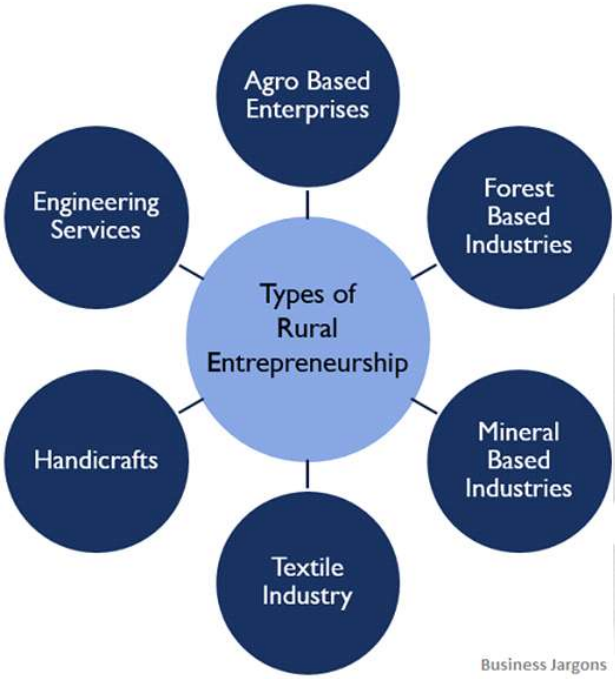

- ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीबों (एसएचजी पारिस्थितिकी तंत्र से) की मदद करने के उद्देश्य से गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिये दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक उप-योजना के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना की परिचालन इकाई ब्लॉक है। स्वीकृत धनराशि से एक ब्लॉक में अधिकतम 2,400 उद्यमों को समर्थन दिया जा सकता है। यह मौजूदा उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों की स्थापना का भी समर्थन करता है। ग्रामीण उद्यमियों को वित्त तक पहुंचने में मदद करने के अलावा, उद्यमों को व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों-एंटरप्राइज प्रमोशन के एक कैडर को भी बढ़ावा दिया जाता है।
- इसके अलावा, भारत में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश भर में काम कर रहे हैं, जो ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तार कर रहे हैं ताकि उन्हें स्व-रोजगार इकाइयां/गतिविधियाँ शुरू करके खुद को रोजगार देने की सुविधा मिल सके। यह मंत्रालय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को त्रैम्ज् द्वारा दिए गए प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति कर रहा है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- **छह पवित्र शहरों में उद्यमिता विकास परियोजना** का उद्देश्य संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज छोड़ने वालों, पिछड़े समुदाय के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता गतिविधियों को उत्प्रेरित करना है। मंदिर शहरों में पुरी (ओडिशा), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), हरिद्वार (उत्तराखंड), कोल्लूर (कर्नाटक), पंढरपुर (महाराष्ट्र) और बोधगया (बिहार) शामिल हैं।
- **पीएम युवा पायलट प्रोजेक्ट:** उद्यमिता शिक्षा, प्रशिक्षण, वकालत और उद्यमिता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में पीएम-युवा पायलट प्रोजेक्ट। यह योजना कौशल पारिस्थितिकी तंत्र, यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक, प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और जन शिक्षण संस्थानों से आने वाले छात्रों/प्रशिक्षुओं और पूर्व छात्रों पर केंद्रित है।
- **कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में समूह उद्यमिता के विकास के लिए, क्ल-छत्स्ड के तहत मंत्रालय महिला स्वामित्व वाले उत्पादक समूहों, यानी उत्पादक उद्यमों/किसान उत्पादक संगठनों और उत्पादक समूहों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करता है ताकि महिला किसान सदस्यों को एकत्रीकरण, मूल्य संवर्धन और विपणन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादन कर उनके लिए बेहतर बाजार तक पहुंचने में सहायता मिल सके।** विचार यह है कि प्राथमिक उत्पादकों को उत्पादक संगठन बनाने से लेकर विपणन संबंध बनाने तक संपूर्ण समाधान प्रदान करने के लिए एक संपूर्ण व्यवसाय मॉडल विकसित किया जाए।
- इसके अलावा, तकनीकी विशेषज्ञता का निर्माण करने के लिए, ताकि बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं के विकास का समर्थन किया जा सके, मंत्रालय ने टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एक धारा 8 कंपनी **"फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन"** की स्थापना की है। यह बड़े आकार के उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा देने के माध्यम से मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं को विकसित और कार्यान्वित

करने के लिए DAY-NRLM की राज्य इकाइयों का समर्थन करता है।

सागरमाला परियोजना

- सागरमाला देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय की प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र योजना है। संशोधित फंडिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी परियोजना में सागरमाला कार्यक्रम (बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के बजट से) का फंड योगदान डीपीआर या निविदा लागत, जो भी कम हो, के अनुसार अनुमानित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सीमित होगा।
- **बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय विशिष्टता, रणनीतिक प्रकृति, आवश्यकता, योग्यता, प्रमुख बंदरगाह की वित्तीय स्थिति आदि के आधार पर किसी भी परियोजना के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है, जो बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन है।**

नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) शुरू की है जो एक व्यापक योजना है जिसके तहत निम्न कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  1. 'राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और पहले नशे के आदी रहे लोगों की आजीविका सहायता, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि और
  2. नशेड़ियों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र, किशोरों के बीच नशीली दवाओं के प्रारंभिक उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी नेतृत्व हस्तक्षेप, आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर, जिला नशामुक्ति केंद्रों को चलाने और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठन और
  3. सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाएं।
- नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य जनता तक पहुंचना और उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करने, निर्भर आबादी तक पहुंचने और उसकी पहचान करने, अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों में परामर्श और उपचार सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करने और सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ मादक द्रव्यों के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाना है।

पीएम-यशस्वी योजना

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी और अन्य लोगों के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (PM –YASASVI) नामक एक व्यापक योजना लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय वयोश्री योजना

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग "राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई)" की योजना लागू कर रहा है, जिसका **उद्देश्य उम्र से संबंधित किसी भी विकलांगता/दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है।**

सरकार की डिजिटल इंडिया पहल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच में क्रांति

- **भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल डिवाइड को समाप्त करके और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दृष्टि से 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया।**
- इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज के क्षेत्रों में, शिक्षा मंत्रालय पीएम ई-विद्या के तत्वावधान में डीटीएच चौनलों के साथ-साथ वेब प्लेटफार्मों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है।

- **कुछ प्रमुख शिक्षा पहल इस प्रकार हैं:**

1. राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडित ऊर्जावान पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने के लिए दीक्षा देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है।
2. स्कूली शिक्षा में 12 डीटीएच चौनल और उच्च शिक्षा में 22 स्वयं प्रभा चौनल पहले से ही काम कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चौनलों को 200 (दो सौ) पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चौनलों तक विस्तारित किया जाएगा।
3. स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव-लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों को क्रेडिट हस्तांतरण के प्रावधान वाला राष्ट्रीय मंच है। NIOS और NCERT स्वयं के तहत स्कूल क्षेत्र के पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक हैं, जो 9वीं से 12वीं तक स्कूल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं।

- डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए, शिक्षा तक मल्टी-मोड पहुंच को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयास आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम **ई-विद्या** बैनर के तहत आयोजित किए गए हैं।

पीएम विश्वकर्मा

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने पांच साल की अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना "पीएम विश्वकर्मा" को मंजूरी दी। इस योजना का **उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित अभ्यास को मजबूत और पोषित करना है।**
- **इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।**
- पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, यह योजना आगे कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान करेगी।
- यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहली बार में अठारह पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया जाएगा।

सुरक्षित शहर परियोजना

- भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है।
- हालाँकि, भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहलों के हिस्से के रूप में, आठ शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में केंद्र प्रायोजित वित्त पोषण के साथ गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षित शहर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- परियोजनाओं में महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए हॉटस्पॉट की पहचान करना और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी अपनाने और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न घटकों की तैनाती शामिल है जो महिलाओं की सुरक्षा को सक्षम करेगी।

कवच सुरक्षा प्रणाली

- **कवच स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। कवच एक अत्यधिक प्रौद्योगिकी गहन प्रणाली**

है, जिसके लिए उच्चतम स्तर के सुरक्षा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है।

- **यदि लोको पायलट ऐसा करने में विफल रहता है तो कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर लोको पायलट को निर्दिष्ट गति सीमा के भीतर ट्रेन चलाने में सहायता करता है और खराब मौसम के दौरान ट्रेन को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है।**

प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

- **मिशन का उद्देश्य पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी, और स्थायी आजीविका के अवसरों तक बेहतर पहुंच जैसी बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करके विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करना है।**
- मिशन के तहत अगले तीन वर्षों में की जाने वाली गतिविधियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना से 15,000 करोड़ रुपये की उपलब्धता की परिकल्पना की गयी है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना

- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, जो किफायती तरीके से बैंकिंग/बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

1. **उद्देश्य:**

- किफायती कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना
- लागत कम करने और पहुंच बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

2. **योजना के मूल सिद्धांत**

- **बिना बैंक वालों को बैंकिंग** -न्यूनतम कागजी कार्यवाही के साथ बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाता खोलना, केवाईसी, ई-केवाईसी में छूट, कैंप मोड में खाता खोलना, शून्य शेष और शून्य शुल्क
- **असुरक्षित को सुरक्षित करना** -व्यापारी स्थानों पर नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करना, 2 लाख रुपये के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ।
- **वित्त रहित लोगों को वित्त पोषण** -अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे सूक्ष्म-बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, सूक्ष्म-पेंशन और सूक्ष्म-ऋण

2. **PMJDY की प्रारंभिक विशेषताएं**

- **प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/-** रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते।
- **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम**- बचत को बढ़ावा देना, एटीएम का उपयोग, ऋण के लिए तैयार होना, बीमा और पेंशन का लाभ उठाना, बैंकिंग के लिए बुनियादी मोबाइल फोन का उपयोग करना
- **क्रेडिट गारंटी फंड का निर्माण** - बैंकों को डिफॉल्ट के खिलाफ कुछ गारंटी प्रदान करना
- **1,00,000 और जीवन बीमा रु.** 15 अगस्त 2014 से 31 जनवरी 2015 के बीच खोले गए खाते पर 30,000 रुपये तक दुर्घटना बीमा कवर।
- **असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना**

3. **अनुभव के आधार पर PMJDY में अपनाया गया महत्वपूर्ण दृष्टिकोण:**

- RuPay डेबिट कार्ड या आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS) के माध्यम से अंतर-संचालनीयता
- फिक्स्ड-प्वाइंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स
- बोझिल केवाईसी औपचारिकताओं के स्थान पर केवाईसी/ई-केवाईसी को सरल बनाया गया

4. **नई सुविधाओं के साथ PMJDY का विस्तार** -

- फोकस 'प्रत्येक परिवार' से हटकर प्रत्येक 'बैंक रहित वयस्कश पर स्थानांतरित हो गया
- **रुपे कार्ड बीमा** -RuPay कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख से रूपये से 2 लाख रुपये बढ़ाया गया। ।
- **ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में वृद्धिः** ओवरड्राफ्ट सीमा 5,000/- रुपये से दोगुनी होकर 10,000/- रुपये हो गई; ओवरड्राफ्ट के लिए ऊपरी आयु सीमा 60 से 65 वर्ष तक बढ़ाने के साथ ओडी 2,000/- तक (बिना किसी शर्त के)

5. **PMJDY का प्रभाव**

- PMJDY जन-केंद्रित आर्थिक पहल की आधारशिला रही है। चाहे वह प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हो, कोविड-19 वित्तीय सहायता, पीएम-किसान, मनरेगा के तहत बढ़ी हुई मजदूरी, जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर, इन सभी पहलों का पहला कदम प्रत्येक वयस्क को एक बैंक खाता प्रदान करना है, जिसे PMJDY ने लगभग पूरा कर लिया है। .
- कोविड-19 महामारी के दौरान, हमने उल्लेखनीय तेजी और निर्बाधता देखी है जिसके साथ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि PMJDY खातों के माध्यम से डीबीटी ने यह सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक रुपया अपने इच्छित लाभार्थी तक पहुंचे और प्रणालीगत रिसाव को रोका जाए।
- PMJDY ने बैंकिंग सुविधा से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाया है, भारत की वित्तीय संरचना का विस्तार किया है और लगभग हर वयस्क के लिए वित्तीय समावेशन लाया है।

पहचान योजना

- हस्तशिल्प कारीगरों को नई पहचान प्रदान करने के लिए 2016 में पहचान योजना शुरू की गई थी ताकि योग्य कारीगरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा सके। आधार से जुड़े पहचान कार्ड कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद जारी किए जाते हैं। पहचान कार्ड धारक कपड़ा मंत्रालय द्वारा लागू सभी हस्तशिल्प योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- पहचान कार्ड के साथ पंजीकृत कारीगर कपड़ा मंत्रालय के राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) का लाभ उठा सकते हैं।
- **योजनाओं के तहत पंजीकृत हस्तशिल्प कारीगरों को प्रदान किए गए वित्तीय लाभ/सहायता का विवरण इस प्रकार हैः**

1. **कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन, डिजाइन विकास कार्यशालाएं, टूल किट वितरण, विपणन मंच, ढांचागत समर्थन।**
2. **मुद्रा ऋण, ब्याज छूट और मुद्रा ऋण पर मार्जिन मनी जैसे कारीगरों को व्यक्तिगत लाभ।**
3. **शिल्प गुरु और कुशल कारीगरों को राष्ट्रीय पुरस्कार।**
4. **रुपये की मासिक पेंशन. गरीब परिस्थितियों में पुरस्कृत कारीगरों को 8,000 रु.**

नई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

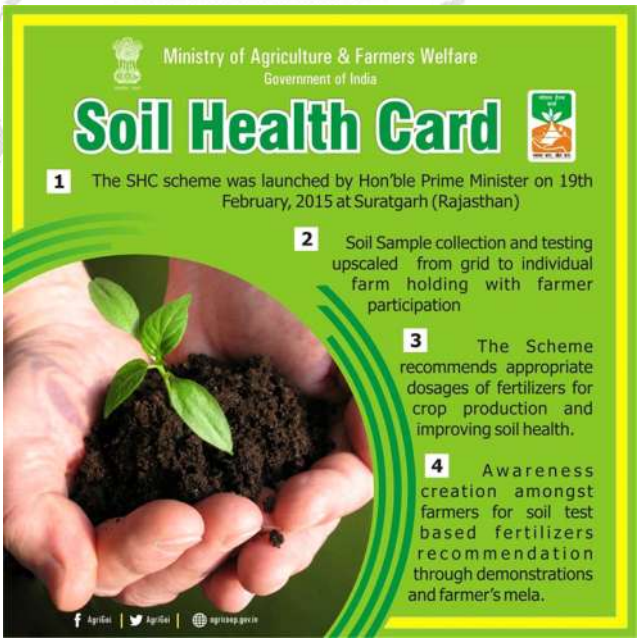

- **वर्ष 2014-15 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत, देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए मिट्टी के**

नमूने, परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी में पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, साथ ही मिट्टी के स्वास्थ्य और उसकी उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश भी करता है।

तकनीकी हस्तक्षेप:

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल को नया रूप दिया गया है और इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी परीक्षण परिणाम एक मानचित्र पर कैद और देखे जा सकें।
- योजना के कार्यान्वयन/निगरानी को सुचारू बनाने और किसानों को अपने मृदा स्वास्थ्य कार्ड तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन को अतिरिक्त सुविधाओं यानी मिट्टी इकट्ठा करने वाले ग्राम स्तर के उद्यमी/ऑपरेटर के लिए नमूना संग्रह क्षेत्र को सीमित करना, नमूने, स्थान के अक्षांश और देशांतर का स्वत: चयन, बिना किसी मैन्युअल हस्तक्षेप के, भू-मैप किए गए प्रयोगशालाओं से सीधे पोर्टल पर सभी नमूनों के नमूने और परीक्षण परिणामों को जोड़ने के लिए एक क्यूआर कोड का निर्माण के साथ मजबूत बनाया गया है।
- नई प्रणाली अप्रैल, 2023 से शुरू हो चुकी है और नमूने मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड संशोधित पोर्टल पर बनाए जाते हैं। नई प्रणाली के लिए राज्यों के लिए प्रशिक्षण सत्रों की व्यवस्था की गई है।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को वर्ष 2022-23 से 'मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता' नाम के तहत इसके एक घटक के रूप में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया योजना में विलय कर दिया गया है।**
- ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना व्यक्तिगत उद्यमियों यानी ग्रामीण युवाओं और समुदाय आधारित उद्यमियों यानी स्वयं सहायता समूहों, स्कूलों, कृषि विश्वविद्यालयों आदि द्वारा की जा सकती है। लाभार्थी/ग्राम स्तर का उद्यमी युवा होना चाहिए जिसकी आयु 18 वर्ष से कम और 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन को भी ग्राम स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में नामांकित किया जा सकता है। इन समूहों के नामांकन की पात्रता जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा तय की जाती है।
- प्रक्रिया के अनुसार, उद्यमी अपेक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ उप निदेशक/जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकता है। मृदा नमूनाकरण, परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने पर वीएलएसटीएल का प्रशिक्षण निर्माताओं और राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। वीएलएसटीएल किसानों को उर्वरक अनुशंसा और फसल अनुशंसा के बारे में और शिक्षित करते हैं।
- **भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा देश के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उच्च रिजॉल्यूशन उपग्रह डेटा और फील्ड सर्वेक्षण/ग्राउंड डेटा का उपयोग करके 1:10000 पैमाने पर विस्तृत मृदा मानचित्रण किया जाता है। यह मृदा संसाधन सूचना डिजिटल प्रारूप में एक भू-स्थानिक डेटा है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड से अलग से तैयार की गई है।**

सामाजिक वानिकी योजनाएँ

- **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नगर वन योजना, स्कूल नर्सरी योजना, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसे कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके शहरी वानिकी, खाली भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि भूमि पर मेड़ आदि को बढ़ावा देकर विभिन्न महानगरीय शहरों सहित देश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करता है।**
- शहरी क्षेत्रों के संबंध में, मंत्रालय **नगर वन योजना** लागू कर रहा है, जो शहरी क्षेत्रों में नगर वन के निर्माण के लिए शुरू की गई योजना है।

CITIIS 2.0

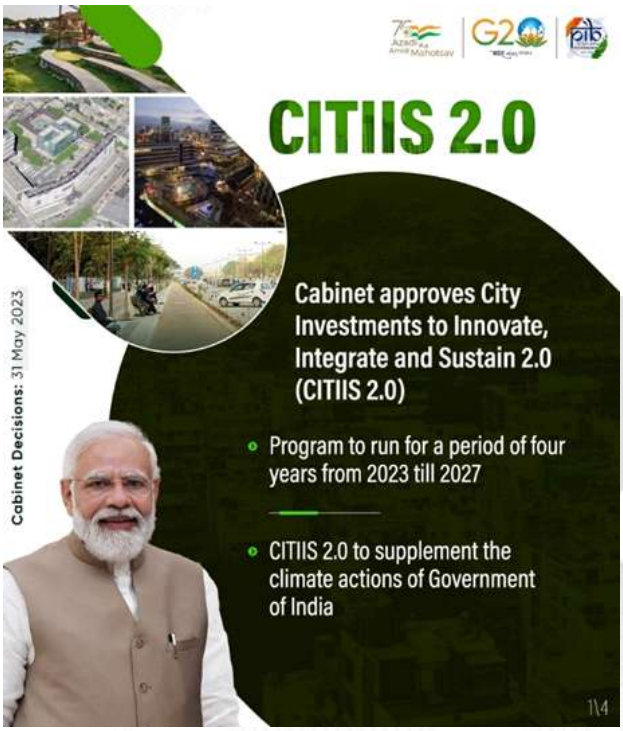

- **सरकार ने 'सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (CITIIS 2.0)' को मंजूरी दे दी है। CITIIS 2.0 की कल्पना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा फ्रांसीसी विकास एजेंसी (AFD), केएफडब्ल्यू (KfW), यूरोपीय संघ (EU) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ साझेदारी में की गई है। कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की होगी।**
- **CITIIS 2.0 के 3 प्रमुख घटक हैं:**

  घटक-1: एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं के लिए 18 स्मार्ट शहरों तक वित्तीय और तकनीकी सहायता।

  घटक-2: जलवायु कार्रवाई के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को समर्थन।

  घटक-3: सभी शहरों और कस्बों में स्केल-अप का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर हस्तक्षेप।
- एक चुनौती प्रक्रिया के माध्यम से CITIIS 1.0 कार्यक्रम के तहत 12 शहरों का चयन किया गया था।
- NIUA स्थित राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई परियोजना स्थलों का नियमित दौरा करती है और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और आपस में सीखने के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान करती है।
- CITIIS 1.0 के तहत प्रत्येक परियोजना को परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तृत ऑन-साइट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक घरेलू विशेषज्ञ और एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक (एससीएम), MoHUA की अध्यक्षता में कार्यक्रम की शीर्ष समिति के स्तर पर सरकार द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

पथ विक्रेताओं को वित्तीय सहायता

- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने जून, 2020 में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भरनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए थे।
- **इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**

1. **पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर, दूसरे और तीसरे चरण में क्रमशः ₹20,000 और ₹50,000 के बढ़े हुए ऋण के साथ, 1 वर्ष की अवधि के ₹10,000 तक के संपार्श्विक मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।**
2. **प्रति वर्ष** 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और
3. प्रति वर्ष ₹1,200 तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

- **पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में वेंडिंग करने वाले सभी स्ट्रीट वेंडर पात्र हैं।** इन स्ट्रीट वेंडरों के पास या तो वेंडिंग प्रमाणपत्र (सीओवी) या संबंधित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) द्वारा जारी अनुशंसा पत्र (एलओआर) होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की उपज के प्रसंस्करण हेतु योजनाएँ

- **कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र अंब्रेला योजना प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में केंद्र प्रायोजित पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना और इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि के माध्यम से संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।**
- PMKSY की घटक योजनाओं के तहत, मंत्रालय उद्यमियों को अनुदान सहायता के रूप में ज्यादातर क्रेडिट से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) प्रदान करता है। PMKSY की पूर्ण परियोजनाओं से देश भर में 32 लाख से अधिक किसानों को लाभ होने का अनुमान है। वर्ष 2020 में मेसर्स नाबार्ड कंसल्टेंसी लिमिटेड (NABCONS) द्वारा आयोजित इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन में, यह अनुमान लगाया गया है कि योजना के तहत कैप्टिव परियोजनाओं के परिणामस्वरूप फार्म-गेट की कीमतों में 12.38 % की वृद्धि हुई है।
- मंत्रालय PMFME योजना के तहत 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता भी प्रदान करता है।
- **PLISFPI का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चौंपियनों के निर्माण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है।**

जल निकायों की जनगणना

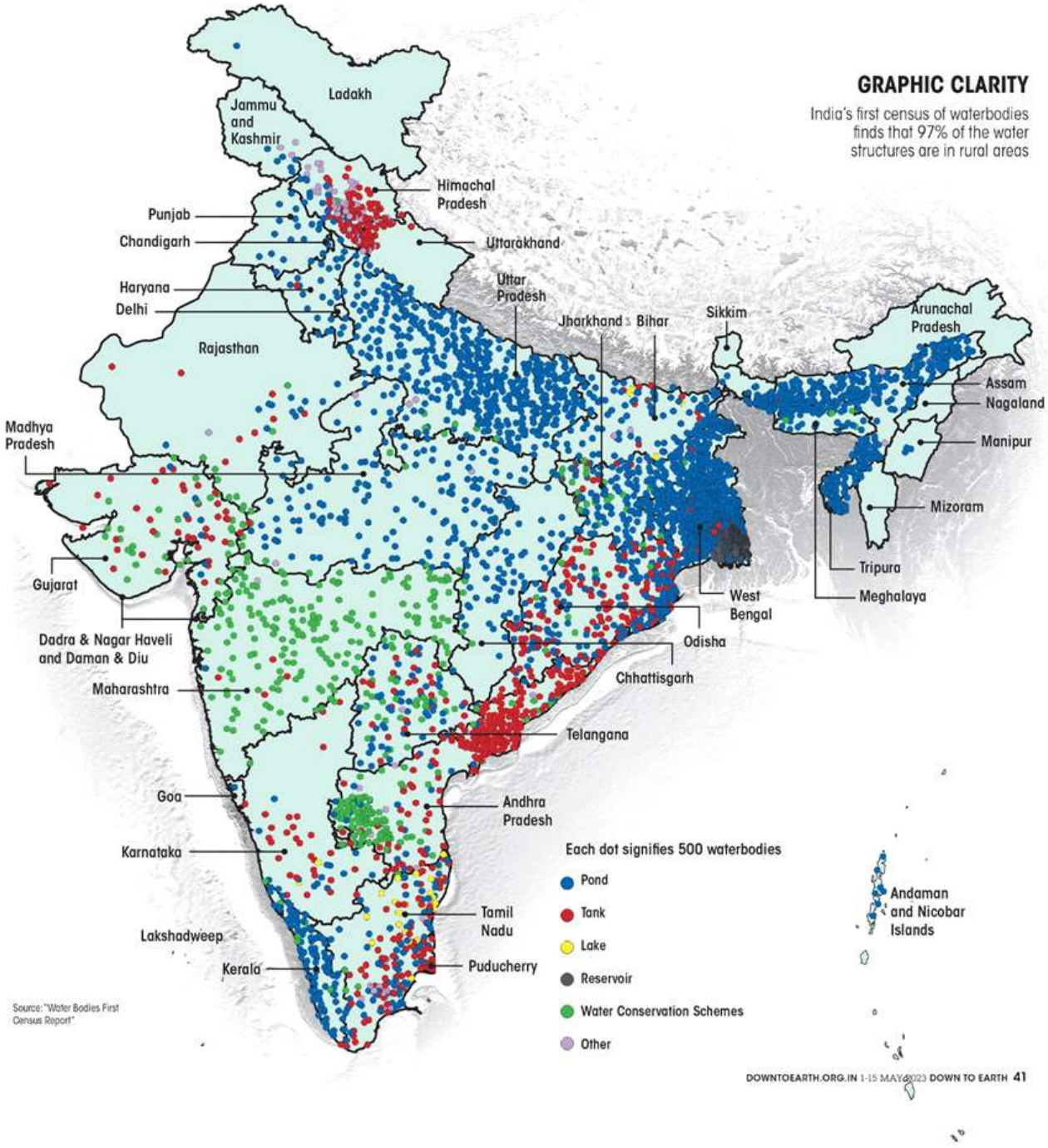

- जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित योजना – "सिंचाई जनगणना" के तहत छठी लघु सिंचाई जनगणना (संदर्भ वर्ष 2017-18) के साथ जल निकायों की पहली जनगणना शुरू की। जल निकायों की जनगणना का उद्देश्य सभी जल निकायों के आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता आदि सहित विषय के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी एकत्र करके एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित करना है।.
- शहरी क्षेत्रों में जल निकायों का कम अनुपात बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में विस्तार और ढांचागत विकास हुआ है जिसके कारण जल निकायों की कमी हो सकती है। जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने के लिए, केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- सिंचाई या अन्य उद्देश्यों (जैसे औद्योगिक, मछलीपालन, घरेलू/पीने, मनोरंजन, धार्मिक, भूजल पुनर्भरण आदि) के लिए पानी के भंडारण के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक या मानव निर्मित इकाइयाँ, जिनमें कुछ या कोई चिनाई का काम नहीं है, को जल निकायों की पहली जनगणना में जल निकाय के रूप में माना जाता था। जनगणना के शुभारंभ के समय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्टर डेटा के अनुसार ऐसे सभी जल निकायों की गणना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में की गई थी।
- जल निकायों की पहली जनगणना छठी लघु सिंचाई गणना के साथ मिलकर आयोजित की गई थी। सामान्य प्रथा के अनुसार, जनगणना इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में पहचाने गए नोडल विभाग के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा आयोजित की गई थी। डेटा एकत्र करने का प्राथमिक कार्य गणनाकारों द्वारा किया गया था जो या तो ग्राम स्तर के कार्यकर्ता या ग्राम लेखाकार या लेखपाल या पटवारी या राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी थे। फील्ड कार्य की समग्र गुणवत्ता की निगरानी ब्लॉक/जिला स्तर/राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा की गई थी।

मजदूरों के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं

- सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। इस संबंध में, मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक डेटाबेस बनाने के लिए ईश्रम पोर्टल विकसित किया है।
- जीवन और विकलांगता कवर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ABPMJAY) स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने 2019 में प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना शुरू की।
- राष्ट्रीय खाद्य के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी अन्य योजनाएं सुरक्षा अधिनियम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना, पीएमस्वनिधि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि भी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों को उनकी पात्रता मानदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं।
- इन योजनाओं के अलावा, कुछ और योजनाएँ उपलब्ध हैं- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि आदि।

MSME में हरित प्रौद्योगिकी

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय **MSME** की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उन्हें विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एमएसएमई चौंपियंस योजना लागू कर रहा है। **MSME** चौंपियंस योजना के तहत एक घटक MSME सस्टेनेबल प्रमाणन योजना शून्य प्रभाव समाधान/प्रदूषण नियंत्रण उपायों/स्वच्छ प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने **MSME** में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ देश में **MSME** के स्वरोजगार या उद्यमिता के माध्यम से अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए MSME इनोवेटिव स्कीम, उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम शामिल हैं।

नया सवेरा योजना

- **मंत्रालय ने छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी से संबंधित छात्रों/उम्मीदवारों को योग्यता परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और रेलवे सहित केंद्र और राज्य सरकारों के तहत समूह 'ए', 'बी', और 'सी' सेवाओं और अन्य समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रतिस्पर्धी परीक्षा में प्रवेश में सहायता करने के लिए 'नया सवेरा' योजना (श्मुफ्त कोचिंग और संबद्धश योजना) लागू की है।**
- यह योजना सूचीबद्ध परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से पूरे देश में लागू की गयी थी।

पीएम जी-वन योजना

- मार्च, 2019 में, सरकार ने देश में दूसरी पीढ़ी (2जी) इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए लिग्नोसेल्युलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक्स का उपयोग करते हुए एकीकृत जैव-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए "प्रधान मंत्री जी-वन (जैव इंधन-वातावरन अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना" को अधिसूचित किया था।
- **पीएम जी-वन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता के अलावा, 2जी इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में गैर-मिश्रित ईंधन पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाना; इथेनॉल खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करके निजी हितधारकों को 15 वर्षों के लिए ऑफ टेक आश्वासन; 2जी इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक का विविधीकरण; 2जी इथेनॉल के लिए अलग कीमत, ईबीपी कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई; वगैरह शामिल है।**

राजमार्गयात्रा

- **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नागरिक-केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन 'राजमार्गयात्रा' के लॉन्च के साथ राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप अब Google Play Store और iOS ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, जो यात्रियों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है और साथ ही एक कुशल शिकायत निवारण प्रणाली भी प्रदान करता है। ऐप फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।**

'राजमार्गयात्रा' ऐप की मुख्य विशेषताएं:

- **व्यापक राजमार्ग सूचना:** 'राजमार्गयात्रा' राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी के वन-स्टॉप भंडार के रूप में कार्य करती है। वास्तविक समय की मौसम की स्थिति, समय पर प्रसारण सूचनाएं और नजदीकी टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं के बारे में विवरण प्राप्त करें जो राष्ट्रीय राजमार्गों पर एक निर्बाध और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करते हैं।
- **परेशानी मुक्त शिकायत निवारण:** ऐप एक अंतर्निहित शिकायत निवारण और वृद्धि तंत्र से सुसज्जित है। उपयोगकर्ता बेहतर स्पष्टता के लिए जियो-टैग किए गए वीडियो या फोटो संलग्न करके आसानी से राजमार्ग से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट कर सकते हैं। पंजीकृत शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा, किसी भी देरी के मामले में सिस्टम-जनरेटेड मामले को उच्च

अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। उपयोगकर्ता पूर्ण पारदर्शिता के लिए अपनी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं।

- **निर्बाध FASTag सेवाएँ:** 'राजमार्गयात्रा' अपनी सेवाओं को विभिन्न बैंक पोर्टलों के साथ एकीकृत करती है, जिससे उपयोगकर्ताओं के लिए अपने FASTags को रिचार्ज करना, मासिक पास प्राप्त करना और अन्य FASTag-संबंधित बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करना सब एक ही मंच के भीतर सुविधाजनक हो जाता है।
- जिम्मेदार और सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए ओवर-स्पीड नोटिफिकेशन और आवाज-सहायता।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

- देश में सस्ती और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता प्रदान की जाती है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध सुविधाओं में आउट पेशेंट सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श / मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकार वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तृतीयक देखभाल घटक के तहत, मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में पीजी विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ तृतीयक स्तर की उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 पीजी विभागों को मजबूत करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी समर्थन दिया है। 22 एम्स के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। ये सेवाएं च्डश्र।ल के तहत भी उपलब्ध हैं।
- सरकार 2018 से केंद्रीय संस्थानों में स्थापित डिजिटल अकादमियों के माध्यम से सामान्य स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सा और पैरा मेडिकल पेशेवरों की विभिन्न श्रेणियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करके देश के वंचित क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जनशक्ति की उपलब्धता भी बढ़ा रही है।
- उपरोक्त के अलावा, आयुष्मान भारत - HWC योजना के तहत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और मादक द्रव्यों के सेवन संबंधी विकारों पर परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- उपरोक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए अक्टूबर, 2022 में एक ष्राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमष शुरू किया है।

प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के लिए शुरू की गई थी।

- PMKSY एक व्यापक योजना है, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), और हर खेत को पानी (HKKP), बदले में, HKKP में चार उप-घटक शामिल हैं: (i) कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (CAD-WM); (ii) सतही लघु सिंचाई (SMI); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और पुनरुद्धार (RRR); और (iv) भूजल (GW) विकास (अनुमोदन केवल 2021-2022 तक, और उसके बाद केवल चल रहे कार्यों के लिए)। इसके अलावा, 2016 में, HKKP के CAD-WM उप-घटक को CAD-WM के साथ समान कार्यान्वयन के लिए लिया गया था।
- इसके अलावा, PMKSY में **वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट** (WDC) भी शामिल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DoA-FW) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा प्रति बूंद अधिक फसल (PDMC) घटक भी 2015-22 के दौरान PMKSY का एक घटक था, और अब DoA-FW द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

बांध और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना

- देश भर के बांधों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 लागू किया गया है।
- **अधिनियम का उद्देश्य बांध विफलता से संबंधित आपदाओं को रोकना और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत तंत्र प्रदान करना और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।**
- अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार; राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति (एनसीडीएस) का गठन किया गया है, जिसका कार्य अन्य बातों के साथ-साथ बांध सुरक्षा नीतियों को विकसित करना और आवश्यक नियमों की सिफारिश करना है।
- इस अधिनियम के तहत, एक नियामक संस्था यानी राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण भी बनाया गया है, जिसके कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करना, राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओ) को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है।
- इसके अलावा, राज्य स्तर पर, अधिनियम बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने और स्थित बांधों के लिए बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बांध सुरक्षा और राज्य बांध सुरक्षा संगठन पर राज्य समिति के गठन/स्थापना का प्रावधान करता है। इसके अलावा, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को एक निर्दिष्ट बांध के मालिक को सुरक्षा या आवश्यक उपचारात्मक उपायों पर अपने निर्देश देने होंगे।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के चार प्रमुख घटक हैं, यानी, (i) जल संसाधन निगरानी प्रणाली, (ii) जल संसाधन सूचना प्रणाली, (iii) जल संसाधन संचालन और योजना प्रणाली, और (iv) संस्थागत क्षमता वृद्धि।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना केवल कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित अध्ययनों का समर्थन करता है।

नगर वन योजना

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से विभिन्न पहल की हैं जो देश में शहरी क्षेत्रों सहित वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर वैन के निर्माण के लिए वर्ष 2020 के दौरान नगर वन योजना शुरू की गई है, जो स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, स्थानीय निकायों आदि को शामिल करके शहरी वानिकी को बढ़ावा देती है।
- नगर वन योजना में नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी स्थानीय निकाय वाले शहरों में 1000 नगर वैन/नगर वाटिका बनाने की परिकल्पना की गई है ताकि निवासियों को स्वस्थ रहने का वातावरण प्रदान किया जा सके और इस प्रकार स्वच्छ, हरित, स्वस्थ और टिकाऊ विकास में योगदान दिया जा सके। शहरों।

- **नगर वन योजना की मुख्य विशेषताएं हैं:**

1. शहरी व्यवस्था में हरित स्थान और सौन्दर्यपरक वातावरण का निर्माण करना।
2. पौधों और जैव विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्यावरण प्रबंधन का विकास करना।
3. क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियों के यथास्थान संरक्षण की सुविधा प्रदान करना।
4. प्रदूषण को कम करके, स्वच्छ हवा प्रदान करके, शोर में कमी, जल संचयन और ताप द्वीपों के प्रभाव को कम करके शहरों के पर्यावरण सुधार में योगदान देना।
5. शहर के निवासियों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना और
6. शहरों को जलवायु के अनुकूल बनने में मदद करना।

- एनवीवाई के अलावा, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन भी है, जिसके तहत अन्य उप-मिशनों के अलावा, शहरी और उप-शहरी क्षेत्रों में वृक्ष आवरण को बढ़ाने के लिए एक विशिष्ट उप-मिशन है। शहरी वानिकी भी प्रतिपूरक निधि अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक अनुमेय गतिविधि है।
- शहरी वानिकी सहित वानिकी/वृक्षारोपण गतिविधियाँ, एक बहु-विभागीय, बहु-एजेंसी गतिविधि होने के कारण, अन्य मंत्रालयों/संगठनों के विभिन्न कार्यक्रमों/निधि स्रोतों के तहत और राज्य योजना बजट के माध्यम से भी अंतर-क्षेत्रीय रूप से की जाती हैं।

डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजना

- डीएनटी समुदायों के कल्याण के लिए डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण योजना के निम्नलिखित चार घटक हैं:-

1. **डीएनटी उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बैठने में सक्षम बनाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की कोचिंग प्रदान करना;**
2. **उन्हें स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना;**
3. **सामुदायिक स्तर पर आजीविका पहल को सुविधाजनक बनाना; और**
4. **इन समुदायों के सदस्यों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

आहार योजनाओं में पौष्टिक अनाज

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) अपनी ईट राइट इंडिया पहल के माध्यम से विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच स्वस्थ और विविध आहार के हिस्से के रूप में बाजरा को शामिल करने को बढ़ावा दे रहा है।
- FSSAI ने 'श्री अन्ना (बाजरा) रेसिपी - मेस/कैंटीन के लिए एक स्वस्थ मेनू' नामक बाजरा आधारित रेसिपी पुस्तक भी तैयार की है। पुस्तक में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रीय विशिष्ट व्यंजन शामिल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पोषण अभियान के तहत श्री अन्ना को भी शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाओं और मध्याह्न भोजन के तहत श्री अन्न की खरीद बढ़ाने के लिए अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। मंत्रालय ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को श्री अन्ना की खरीद बढ़ाने की भी सलाह दी है।
- भारत से श्री अन्ना निर्यात के प्रचार, विपणन और विकास की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में श्री अन्ना को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (IYM)-2023 की प्रचार गतिविधियों के एक भाग के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA-FW) भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान श्री अन्ना को बढ़ावा दे रहा है।**

OUR CLASSROOM RESULTS NOT OF INTERVIEW

JATIN JAIN
(Rank-91) UPSC CSE-2022

SHRUSTI
(Rank 165) UPSC CSE-2022

DAMINI DIWAKAR
(Rank 435) UPSC CSE-2022

AKANSHA
(Rank 702) CSE-2022

UPSC 2021-RANK 152
NEHA JAIN

ABHI JAIN
(Rank 282) 2021

VASU JAIN
(Rank 67) 2020

AKASH SHRISHRIMAL
(Rank 94) 2020

DARSHAN
(Rank 138) 2020

SHREYANSH SURANA
(Rank 269) 2020

ARPIT JAIN
(Rank 279) 2020

SANDHI JAIN
(Rank 329) 2020

RAJAT KUMAR PAL
(Rank 394)

SANGEETA RAGHAV
(Rank 2)-2018 UPPSC

PANKHURI JAIN
2018 UPPSC

ABHISHEK KUMAR
(Rank 38) 2018 UPPSC

THE CORE IAS

Scan here for Testimonial

103, B-5/6 II Floor, Himalika Commercial Complex Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 09

53/18, Old Rajinder Nagar, New Delhi, 110060

011-41008973, 8800141518, 9873833547